अध्याय 4

कंपनियों के वित्तीय विवरण

यूनिट 1 : कंपनियों के वित्तीय विवरण

अध्ययन के परिणाम

इस यूनिट का अध्ययन करने के बाद, आप निम्न में सक्षम होंगे:

- जानें कि किसी कंपनी की लेखा बहियों को कैसे बनाएं।
- किसी कंपनी की सांविधिक बहियों के बारे में जानना।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार किसी कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार करना और प्रस्तुत करना
- किसी कंपनी में प्रबंधकों के प्रबन्धकीय पारिश्रमिक की गणना करना।
- विभाज्य लाभ और लाभांश शब्द का अभिमूल्यन करना।

© The Institute of Chartered Accountants of India

यूनिट का अवलोकन

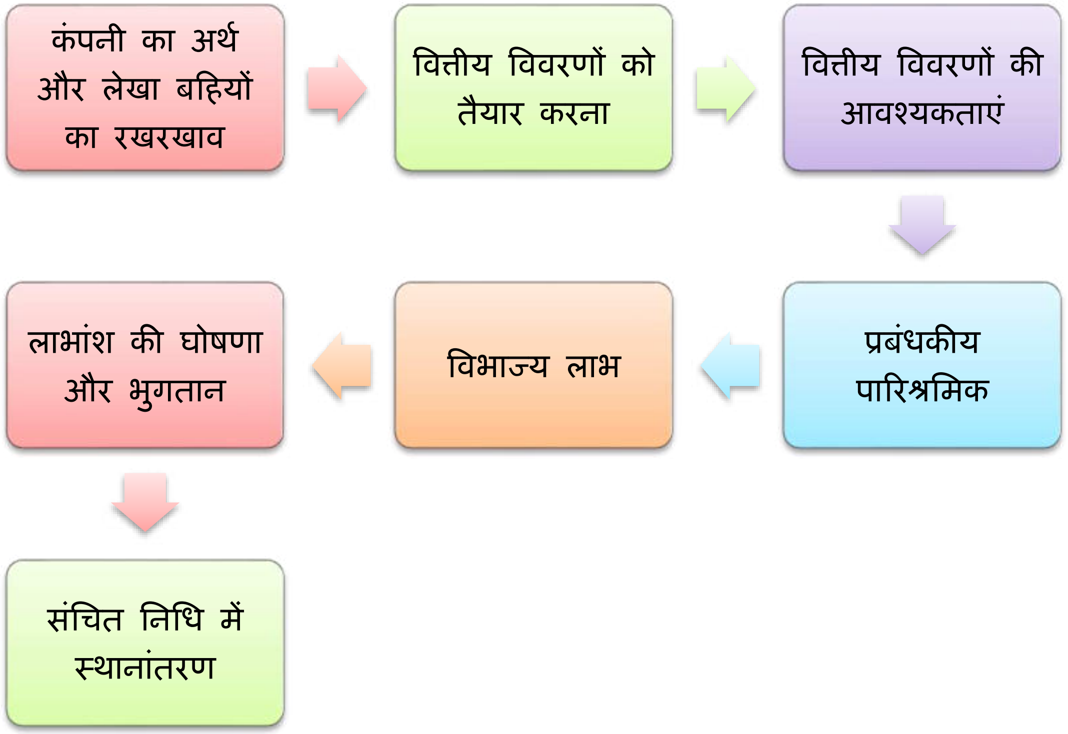

1.1 कंपनी का अर्थ

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 2(20) के अनुसार, "कंपनी" का अर्थ है, कंपनी अधिनियम, 2013 तहत या किसी पिछले कंपनी के कानून (जैसे, कंपनी अधिनियम, 1956) के तहत सम्मिलित कंपनी। विभिन्न प्रकार की कंपनियों को इस प्रकार परिभाषित (कंपनी अधिनियम, 2013 की विभिन्न उप-धाराओं के तहत) किया गया है :

2(21) **"गारंटी द्वारा सीमित कंपनी"** का अर्थ एक ऐसी कंपनी है जिस पर सदस्यों का दायित्व ज्ञापन द्वारा उस राशि तक सीमित है, जैसा कि सदस्य कंपनी के परिसमापन की स्थिति में उसकी आस्ति में योगदान करने का वचन दे सकते हैं;

2(22) **"शेयर द्वारा सीमित कंपनी"** का अर्थ है, एक ऐसी कंपनी है जिसके सदस्यों का दायित्व राशि, यदि कोई हो, के लिए ज्ञापन द्वारा सीमित हो, तो उनके द्वारा धारित शेयर क्रमशः अवैतनिक होंगे;

2(42) **"विदेशी कंपनी"** का अर्थ है भारत के बाहर निगमित कोई भी कंपनी या निकाय जिसका -

© The Institute of Chartered Accountants of India

(a) भारत में कारबार का स्थान है, चाहे स्वयं द्वारा या भौतिक रूप से किसी एजेंट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक रूप के माध्यम से; तथा

(b) किसी भी अन्य तरीके से भारत में किसी भी कारोबारी गतिविधि का संचालन करता है।

2(45) **"सरकारी कंपनी"** का अर्थ है ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 51% प्रदत्त शेयर पूंजी केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के पास होती है। , और इसमें ऐसी कंपनी शामिल है जो इस तरह की सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है;

2(62) **"एकल व्यक्ति कंपनी"** का अर्थ है ऐसी कंपनी, जिसमें सदस्य के रूप में केवल एक ही व्यक्ति होता है;

2(68) **"निजी कंपनी"** का अर्थ है ऐसी कंपनी है जिसके पास न्यूनतम प्रदत्त शेयर पूंजी है, जैसा कि विहित किया जा सकता है, और जो अपने लेखों द्वारा, -

(i) अपने शेयरों को स्थानांतरित करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है;

(ii) एकल व्यक्ति कंपनी के मामले के अलावा, अपने सदस्यों की संख्या को दो सौ तक सीमित करता है:

बशर्ते कि जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से एक कंपनी में एक या उससे अधिक शेयर्स रखते हैं, उन्हें इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए एक एकल सदस्य के रूप में माना जाना चाहिए:

बशर्ते आगे कि—

(A) ऐसे व्यक्ति जो कंपनी की नौकरी करता हो; और

(B) ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में कंपनी की नौकरी में रहे हों, उस नौकरी में रहते हुए कंपनी के सदस्य बनें और रोजगार समाप्त होने के बाद भी सदस्य बने रहें, उन्हें सदस्यों की संख्या में शामिल नहीं किया जाना चाहिए; तथा

(iii) कंपनी की किसी भी प्रतिभूति को सब्स्क्राइब करने के लिए लोगों के किसी भी आमंत्रण को प्रतिबंधित करता हो;

2(71) **"सार्वजनिक कंपनी"** का अर्थ है ऐसी कंपनी है जो-

(a) निजी कंपनी नहीं है;

(b) न्यूनतम प्रदत्त शेयर पूंजी है जैसा कि विहित किया जा सकता है:

बशर्ते कि ऐसी कंपनी जो किसी कंपनी की सहायक कंपनी हो, जिसे एक निजी कंपनी ना होते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक कंपनी के रूप में माना जाना चाहिए, भले ही ऐसी सहायक कंपनी अपने लेखों में एक निजी कंपनी बनी हुई हो;

2(85) **"लघु कंपनी"** का अर्थ है एक सार्वजनिक कंपनी के अलावा एक कंपनी, -

© The Institute of Chartered Accountants of India

(i) जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 50 लाख से अधिक ना हो या इतनी अधिक राशि जो विहित की जा सकती है वह ₹ 5 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए; या

(ii) जिसका आवर्त उसके अंतिम लाभ और हानि लेखा के अनुसार ₹ 2 करोड़ से अधिक ना हो या इतनी अधिक राशि जो विहित की जा सकती है वह ₹20 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए:

बशर्ते कि इस खंड में निम्न पर कुछ भी लागू नहीं होना चाहिए:

(A) नियंत्रक कंपनी (सूत्रधारी कंपनी) या सहायक कंपनी

(B) अनुभाग 8 के तहत पंजीकृत कंपनी

(C) किसी विशेष अधिनियम द्वारा शासित एक कंपनी या निगमित निकाय

कंपनी (परिभाषाओं के विवरण के विनिर्देश) नियम, 2014 के अनुसार, अधिनियम के अनुभाग 2 के खंड (85) के उप-खंड (i) और उप-खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, लघु कंपनी की प्रदत्त पूंजी और आवर्त क्रमशः दो करोड़ रुपये और बीस करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।[1]

2(92) "**असीमित कंपनी**" का अर्थ है ऐसी कंपनी है जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं होती है;

2(46) एक या एक से अधिक अन्य कंपनियों के संबंध में "**नियंत्रक कंपनी (सूत्रधारी कंपनी)**" का अर्थ है ऐसी कंपनी है, जिसकी इस तरह की कंपनियां सहायक कंपनी हैं;

2(87) किसी अन्य कंपनी (यानी नियंत्रक कंपनी) के संबंध में "**समनुषंगी कंपनी**" या "सहायक कंपनी" का अर्थ है एक ऐसी कंपनी जिसमें नियंत्रक कंपनी (सूत्रधारी कंपनी)-

(i) निदेशक बोर्ड के गठन को नियंत्रित करती है; या

(ii) कुल शेयर पूंजी के आधे से अधिक का या तो खुद पर या अपनी एक या अधिक सहायक कंपनियों के साथ मिलकर प्रयुक्त करती है या नियंत्रण करती है:

बशर्ते कि नियंत्रण कंपनियों (धारण कंपनियों) के ऐसे वर्ग या वर्गों को, जैसा कि विहित किया जा सकता है, उसमें सहायक कंपनियों की परतें इतनी संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसा कि विहित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

(a) एक कंपनी को नियंत्रक कंपनी की सहायक कंपनी के रूप में माना जाना चाहिए, भले ही उप-खंड (i) या उप-खंड (ii) में संदर्भित नियंत्रण नियंत्रक कंपनी (सूत्रधारी कंपनी) की किसी अन्य सहायक कंपनी का हो;

---

[1] *जैसा कि कंपनियों (परिभाषाओं के विवरण के विनिर्देश) संशोधन नियम, 2021 द्वारा संशोधित किया गया।*

© The Institute of Chartered Accountants of India

(b) यदि अन्य कंपनी अपने विवेकाधिकार द्वारा कुछ प्रयोक्तव्य शक्तियों को प्रयुक्त करके सभी या बहुमत निदेशकों को नियुक्त या हटा सकती है तो एक कंपनी के निदेशक बोर्ड का गठन किसी अन्य कंपनी द्वारा नियंत्रित माना जाना चाहिए;

(c) अभिव्यक्ति "कंपनी" में कोई भी निगमित निकाय शामिल हो;

(d) एक धारक कम्पनी के संबंध में "लेयर" का अर्थ है उसकी सहायक या सहायक कंपनियां;

1.2 लेखा बहियां का अनुरक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 128 के अनुसार, हर कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की लेखा बहियों और अन्य प्रसांगिक बहियों और कागजातों और वित्तीय विवरणों को तैयार करना चाहिए और उन्हें अपने पंजीकृत कार्यालय में रखना चाहिए जो कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति का सही और स्पष्ट दृश्य देता है, जिसमें उसके शाखा कार्यालय या कार्यालयों सहित, यदि कोई हो, और पंजीकृत कार्यालय और उसकी शाखाओं दोनों में प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों की व्याख्या करते हैं और ऐसी बहियों को प्रोद्भवन के आधार पर और लेखा की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार रखा जाना चाहिए:

बशर्ते कि आगे कंपनी ऐसी लेखा बहियों या अन्य प्रासंगिक कागजातों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में इस तरह से रख सकती है जैसा कि विहित किया जा सकता है

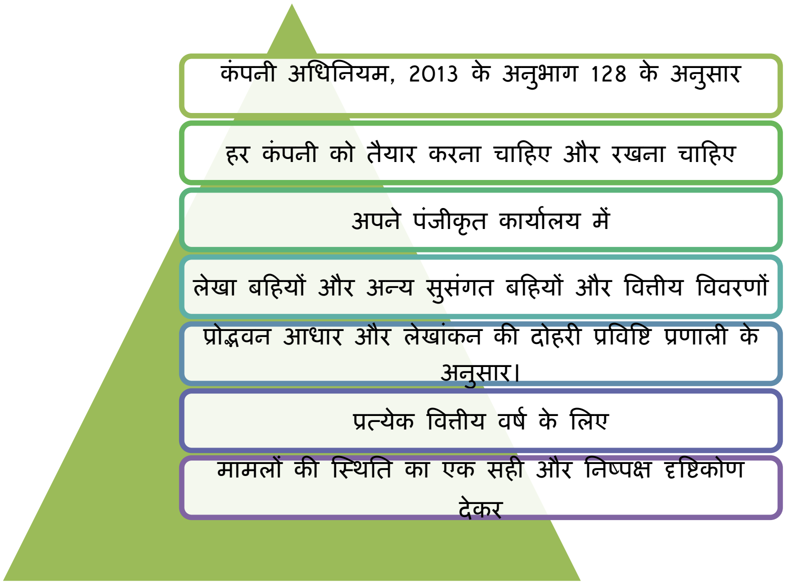

© The Institute of Chartered Accountants of India

पंजीकृत कार्यालय के अलावा अन्य स्थान पर अनुरक्षण

यदि निदेशक बोर्ड पंजीकृत कार्यालय के अलावा अन्य स्थान पर बहियों के अनुरक्षण करने का निर्णय लेते हैं तो यह कंपनी का यह कर्तव्य है कि निर्णय लेने के सात दिनों के भीतर कंपनी के रजिस्ट्रार को सूचित करें।

शाखा कार्यालय के मामले में

जहां किसी कंपनी का भारत में या भारत के बाहर शाखा कार्यालय है, तो उसे अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करना मानद होना चाहिए, यदि शाखा कार्यालय में किए गए संव्यवहारों से संबंधित लेखा की उचित बहियां उस कार्यालय में रखी जाती हैं और उचित सारांशित विवरणी समय-समय पर शाखा कार्यालय द्वारा कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय या इस तरह की अन्य जगह पर भेजा जाता है जिसे निदेशक बोर्ड निश्चित करता है।

अनुभाग 128 (3) आगे बताता है कि भारत के भीतर कंपनी द्वारा बनाए रखी गई लेखा बहियों और अन्य बहियों और कागजातों को कारोबारी घंटों के दौरान किसी भी निदेशक द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में या भारत में इस तरह की अन्य जगह पर निरीक्षण के लिए खुले होने चाहिए, और देश के बाहर बनाए रखी गई वित्तीय जानकारी के मामले में, यदि कोई हो, तो इस तरह की वित्तीय जानकारी की प्रतियां को बनाए रखा जाना चाहिए और ऐसी शर्तो के अधीन, जैसा कि विहित किया जा सकता है, किसी भी निदेशक द्वारा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। अनुभाग 128(5) आगे बताता है कि प्रत्येक कंपनी के खाते की बहियां किसी वित्तीय वर्ष के तुरंत पूर्ववर्ती 8 वित्तीय वर्षों से कम की अवधि से संबंधित नहीं हैं, या जहां कंपनी 8 वर्ष से कम अवधि के लिए अस्तित्व में थी, सभी पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में, ऐसी लेखा बहियों में किसी भी प्रविष्टि के लिए सुसंगत वाउचर के साथ अच्छी स्थिति में रखा जाना चाहिए।

1.3 सांविधिक बहियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न अनुभागों के तहत एक कंपनी द्वारा निम्नलिखित सांविधिक बहियों को बनाए रखना आवश्यक है:

- कंपनी के अपने नाम से धारित निवेश का रजिस्टर (अनुभाग 187)
- प्रभारों का रजिस्टर (अनुभाग 85)
- सदस्यों का रजिस्टर (अनुभाग 88)
- डिबेंचर-धारी और अन्य प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर (अनुभाग 88)
- कार्यवृत्त पुस्तक (अनुभाग 118)
- अनुबंधों या व्यवस्थाओं का रजिस्टर जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं (अनुभाग 189)
- निदेशकों और मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक और उनके शेयरधारकों का रजिस्टर (अनुभाग 170)

© The Institute of Chartered Accountants of India

- कंपनी द्वारा ऋणों और निवेशों का रजिस्टर (अनुभाग 186)

  इसके अलावा, एक कंपनी आमतौर पर अपने संव्यवहारों का रिकॉर्ड रखने के लिए कई सांख्यिकीय बहियों को बनाए रखती है, जिसके परिणामस्वरूप या तो इसे धन का भुगतान किया जाता है या उस आधार का गठन किया जाता है जिस पर इसके द्वारा कतिपय भुगतान किया गया हो।

- शेयरों के मुद्दे से संबंधित रजिस्टर और दस्तावेज हैं:

  (i) शेयर का आवेदन और आवंटन पुस्तक;

  (ii) शेयर कॉल बुक

  (iii) प्रमाण-पत्र बही

  (iv) सदस्यों का रजिस्टर

  (v) शेयर स्थानांतरण बही

  (vi) लाभांश रजिस्टर।

1.4 वार्षिक का विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 92 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निदेशक और कंपनी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एक वार्षिक विवरणी तैयार करना चाहिए, या जहां कंपनी का सचिव नहीं है, कंपनी के सचिव द्वारा व्यवहार में:

बशर्ते कि एकल व्यक्ति कंपनी और लघु कंपनी के संबंध में, वार्षिक विवरणी कंपनी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए, या जहां कोई कंपनी सचिव नहीं है, कंपनी के निदेशक द्वारा होनी चाहिए।

जिस दिन वार्षिक सामान्य बैठक (AGM) की जाती है उस दिन से 60 दिनों के भीतर वार्षिक विवरणी को रजिस्ट्रार के पास दाखिल किया जाना चाहिए या जहां किसी भी वर्ष कोई AGM नहीं की जाती है, तो जिस दिन AGM की जानी चाहिए थी उस तारीख से 60 दिनों के भीतर, AGM क्यों नहीं की गई, इन कारणों के विवरण को दिखाया जाना चाहिए।

1.5 अंतिम लेखा

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 129 के तहत, कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में, कंपनी के निदेशक बोर्ड को कंपनी के समक्ष वित्तीय विवरण रखना चाहिए:

© The Institute of Chartered Accountants of India

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 2(40) के अनुसार वित्तीय विवरणों में *अन्य बातों के साथ-साथ* शामिल हैं -

(i) वित्तीय वर्ष के अंत में तुलन पत्र;

(ii) लाभ और हानि लेखा, या कंपनी के मामले में कोई भी गतिविधि करना, जो लाभ के लिए नहीं है, वित्तीय वर्ष के लिए एक आय और व्यय लेखा;

(iii) वित्तीय वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण;

(iv) इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, यदि लागू हो; और

(v) उपरोक्त (i) से (iv) में संदर्भित किसी दस्तावेज़ से उपाबद्ध या उसका हिस्सा बनने वाला कोई स्पष्टीकारक नोट:

बशर्ते कि एकल व्यक्ति कंपनी, लघु कंपनी और निष्क्रिय कंपनी के संबंध में, वित्तीय विवरण में नकदी प्रवाह विवरण शामिल नहीं हो सकता है।

अनुभाग 2 के अध्याय I, खंड (40) के तहत, संशोधन के अनुसार, एकल व्यक्ति कंपनी, लघु कंपनी और निष्क्रिय कंपनी के अलावा एक शुरूवात करने वाली निजी कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 462 के तहत दिनांकित 13 जून, 2017 की अधिसूचना के तहत छूट प्रदान की गई है। संशोधन के अनुसार, एक शुरूवात करने वाली निजी कंपनी को वित्तीय विवरणों में नकदी प्रवाह विवरण शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

इस प्रकार, एकल व्यक्ति कंपनी, लघु कंपनी, निष्क्रिय कंपनी और निजी कंपनी (यदि ऐसी निजी कंपनी जो शुरू हो रही है) के संबंध में, वित्तीय विवरणों में नकदी प्रवाह विवरण शामिल नहीं हो सकता है।

आवधिक वित्तीय विवरण

केंद्र सरकार को असूचीबद्ध कंपनियों के ऐसे वर्ग या वर्गों की आवश्यकता हो सकती है, जैसा कि विहित किया जा सकता है -

(*a*) कंपनी के वित्तीय परिणामों को ऐसे आवधिक आधार पर और ऐसे रूप में तैयार करना, जैसा कि विहित किया जा सकता है;

(*b*) निदेशक बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए और इस तरह के आवधिक वित्तीय परिणामों की संपूर्ण लेखा परीक्षा या सीमित समीक्षा जैसा कि विहित किया जा सकता है; तथा

(c) ऐसी फीस जैसा कि विहित की जा सकती है, के साथ संबंधित अवधि के पूरा होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार के पास एक प्रतिलिपि दाखिल करना।

वित्तीय विवरण की आवश्यक वस्तुएं

इसे वित्तीय वर्ष के अंत के रूप में कंपनी के मामलों की स्थिति का सही और स्पष्ट दृश्य देना चाहिए।

प्रयोज्य उपबंध

(1) विनिर्दिष्ट अधिनियम प्रयोज्य है

उदाहरण के लिए, कोई भी

(a) बीमा कम्पनी

(b) बैंककारी कम्पनी या

(c) बिजली के उत्पादन या आपूर्ति में संलग्न कोई कंपनी या *

(d) कंपनी का कोई अन्य वर्ग जिसके लिए कंपनी के ऐसे वर्ग को नियंत्रित करने वाले अधिनियम के तहत तुलन-पत्र या लाभ और हानि लेखा का एक प्रारूप निर्धारित किया गया है

(2) सभी अन्य कंपनियों के मामले में

अनुसूची III के भाग I में निर्धारित प्रारूप के अनुसार तुलन-पत्र और अनुसूची III के भाग II के अनुसार लाभ और हानि का विवरण

अन्तिम लेखा तैयार करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें :

** विद्युत अधिनियम, 2003 वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कोई भी फॉर्मेट विनिर्दिष्ट नहीं करता है। इसलिए, बिजली कंपनियों द्वारा अपना वित्तीय विवरण तैयार करने में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III का पालन किया जाता है।*

© The Institute of Chartered Accountants of India

- कंपनी अधिनियम की अनुसूची III की आवश्यकताएं;
- अन्य वैधानिक आवश्यकताएं;
- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) द्वारा अधिसूचित लेखा मानक(AS 1 से AS 29); [2]
- द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी विवरण और मार्गदर्शन नोट; जो ICAI द्वारा सुझाए गए लेखा उपचार/मूल्यांकन/प्रकटीकरण को समझने के लिए आवश्यक हैं।

लेखा मानकों का अनुपालन

कंपनी अधिनियम के अनुभाग 133 के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित लेखा मानकों का पालन करना अनिवार्य है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 129 के अनुसार, वित्तीय विवरणों को कंपनी या कंपनियों के मामलों की स्थिति का सही और स्पष्ट दृश्य देना चाहिए और अनुभाग 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों का पालन करना चाहिए और अधिनियम के तहत अनुसूची III में कंपनियों के विभिन्न वर्ग या वर्गों के लिए जैसा कि प्रदान किया जा सकता है, के रूप या रूपों में होना चाहिए। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III को इस अध्याय के अंत में अनुलग्नक के रूप में दिया गया है।

[2] *AS 6 और AS 8 को हटा दिया गया है*

© The Institute of Chartered Accountants of India

उदाहरण 1

वित्तीय वर्ष 20X1-20X2 के वित्तीय विवरणों में, अल्फा लिमिटेड ने लेखाओं के नोट्स में उल्लेख किया है कि वित्तीय वर्ष के दौरान, ₹ 10 प्रति के 24,000 इक्विटी शेयर्स पूर्णतया भुगतान किए गए बोनस शेयर्स के रूप में जारी किए गए थे। हालांकि, ये बोनस शेयर जिस स्रोत से जारी किए गए थे, इसका प्रकटीकरण नहीं किया गया है। क्या इस तरह का प्रकटीकरण ना करना कंपनी अधिनियम की अनुसूची III का उल्लंघन है? टिप्पणी

समाधान

1 अप्रैल, 20X1 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए गए तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखा के लिए अनुसूची III लागू हो गई है। अनुसूची III के भाग I के अनुसार, एक कंपनी को अन्य बातों के साथ-साथ, तुलन पत्र की तारीख (31 मार्च, 20X2 तक के तत्काल मामले में) से ठीक पूर्ववर्ती 5 साल की अवधि के लिए लेखों में नोट करके पूर्णतया प्रदत्त बोनस शेयरों के रूप में आवंटित शेयरों की कुल संख्या और वर्ग का प्रकटीकरण करना चाहिए। अनुसूची III में किसी कंपनी को उस स्रोत का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है जिससे बोनस शेयर जारी किए गए हैं। इसलिए, जिस स्रोत से बोनस शेयर जारी किए गए हैं, उसका प्रकटीकरण न करना कंपनी अधिनियम की अनुसूची III का उल्लंघन नहीं करता है।

उदाहरण 2

लॉयल लिमिटेड के प्रबंधन का तर्क है कि अर्धनिर्मित उत्पादन का मूल्यांकन नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें शामिल कई प्रक्रियाओं की दृष्टि से इसे अभिनिश्चित करना मुश्किल होता है। उनका मानना था कि अर्धनिर्मित उत्पादन शुरू करने और समाप्त करने का मूल्य लगभग समान ही होगा। तदनुसार, प्रबंधन ने अपने वित्तीय विवरणों में अर्धनिर्मित उत्पादन को अलग से प्रकटित नहीं किया गया था। अनुसूची III के समान टिप्पणी करें।

समाधान

कंपनी अधिनियम की अनुसूची III में यह आवश्यक नहीं है कि लेखा अवधि की शुरुआत और अंत में लाभ और हानि के विवरण को WIP की राशि में प्रकटित किया जाए। केवल WIP की इंवेंटरी में बदलाव को लाभ और हानि के विवरण में प्रकटित किया जाना चाहिए। यदि WIP शुरू करने और बंद करने के बीच का अंतर भौतिक नहीं हैं तो कंपनी द्वारा लाभ और हानि के विवरण में इस तरह के बदलाव का प्रकटीकरण ना करना अनुसूची III का उल्लंघन नहीं हो सकता है।

उदाहरण 3

फ्यूचरा लिमिटेड के पास 31 मार्च, 20X1 तक के तुलन-पत्र में "संचित निधि और अतिशेष" शीर्ष के तहत निम्नलिखित मद थे:

	राशि ₹ लाख में
प्रतिभूति प्रीमियम लेखा	*80*

पूँजीगत निधि 60

सामान्य निधि 90

कंपनी को उसी तारीख को ₹ 250 लाख की संचित हानि हुआ थी, जिसे उसने अपने तुलन-पत्र में "लाभ और हानि का विवरण" शीर्षक के तहत प्रकटित किया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के समान इस उपचार की परिशुद्धता पर टिप्पणी करें।

समाधान

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के भाग I कहता है कि लाभ और हानि के विवरण (सभी आवंटन और विनियोग के बाद) के नामे शेष को शीर्ष 'अधिशेष' के तहत एक ऋणात्मक आंकड़े के रूप में दिखाया जाना चाहिए। इसी तरह, अधिशेष के ऋणात्मक संतुलन को समायोजित करने के बाद, 'संचित निधि और अधिशेष' के संतुलन को 'संचित निधि और अधिशेष' शीर्ष के तहत दिखाया जाना चाहिए, भले ही परिणामी आंकड़ा नकारात्मक हो। इस मामले में, लाभ और हानि यानी ₹ 250 लाख का नामे शेष सभी संचित निधि के योग यानी ₹ 230 लाख से अधिक होता है। इसलिए, लाभ और हानि के नामे शेष को समायोजित करने के बाद 'संचित निधि और अधिशेष' की शेष राशि ₹ 20 लाख से ऋणात्मक है, जिसे तुलन पत्र के अंकित मूल्य पर प्रकट किया जाना चाहिए। इस प्रकार कंपनी द्वारा किया गया उपचार गलत है।

उदाहरण 4

सुमेधा लिमिटेड ने बैंक से ₹ 10,00,000 का ऋण 10 समान अर्धवार्षिक किश्तों में 5 वर्षों के भीतर ब्याज सहित निपटाने किए जाने पर लिया था। पहली किश्त ₹ 1,00,000 की 30.09.20X1 को देय होती है। निर्धारित करें कि अनुसूची III के अनुसार 31 मार्च, 20X1 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सुमेधा लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में ऋण को कैसे वर्गीकृत किया जाएगा।

समाधान

दिए गए मामले में, दिनांक 24 मार्च, 2021 की MCA अधिसूचना के तहत अनुसूची III में संशोधन के अनुसार 30.09.20X1 और 31.03.20X2 को देय किश्तों को बैंक से ऋण की वर्तमान परिपक्वता के रूप में 'अल्पकालिक उधार' शीर्ष के तहत दिखाया जाएगा। इसलिए, 31.3.20X1 के तुलन पत्र में, ₹ 8,00,000 (₹ 1,00,000 x 8 किस्तें) 'दीर्घकालिक उधार' शीर्षक के तहत दिखाया जाएगा और ₹ 2,00,000 (₹ 1,00,000 x 2 किस्त) 'अल्पकालिक उधार' शीर्षक के तहत दिखाया जाएगा।

नोट: छात्र ध्यान दें कि इस यूनिट में अनुसूची III के अनुसार लाभ और हानि का विवरण और तुलन पत्र और स्पष्टीकरण नोट्स को तैयार करने पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। हालांकि, इस अध्याय की अगली यूनिट में नकदी प्रवाह विवरण को तैयार करने की आवश्यकता वाले प्रश्नों को अलग से दिया गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

1.6 प्रबन्धकीय पारिश्रमिक

प्रबन्धकीय पारिश्रमिक की गणना लाभ के प्रतिशत के रूप में की जाती है। एक कंपनी द्वारा देय प्रबंधकीय पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम, 2013 के कई अनुभागों और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनुसूची V द्वारा नियंत्रित होता है।

संबंधित अनुभागों का कार्य क्षेत्र नीचे दिया गया है:

अनुभाग 197 देय समग्र अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक और लाभ की अनुपस्थिति या अपर्याप्तता के मामले में प्रबंधकीय पारिश्रमिक भी निर्धारित करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 197 के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष के संबंध में किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा उसके निदेशकों सहित प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक, और उसके प्रबंधक को देय कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक उस कंपनी का उस वित्तीय वर्ष के लिए शुद्ध लाभ 11% से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसकी गणना अनुभाग 198 में निर्धारित तरीके से की गई है, सिवाय इसके कि निदेशकों के पारिश्रमिक सकल लाभ से कटौती नहीं की जानी चाहिए। कंपनी की सामान्य बैठक में, केंद्र सरकार के अनुमोदन से, अनुसूची V के प्रावधानों के अधीन, कंपनी के शुद्ध लाभ का 11% से अधिक पारिश्रमिक के भुगतान को अधिकृत कर सकती है।

बशर्ते आगे कि, सामान्य बैठक में कंपनी के अनुमोदन के अलावा,-

(i) किसी एक प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक को देय पारिश्रमिक; कंपनी के शुद्ध लाभ का 5% से अधिक नहीं होना चाहिए और यदि ऐसे एक से अधिक निदेशक हैं, तो ऐसे सभी निदेशकों और प्रबंधक को मिलाकर पारिश्रमिक शुद्ध लाभ 10% से अधिक नहीं होना चाहिए;

(ii) निदेशकों को देय पारिश्रमिक, जो न तो प्रबंध निदेशक हैं और न ही पूर्णकालिक निदेशक हैं, से अधिक नहीं होना चाहिए,—

  (A) कंपनी के शुद्ध लाभ का 1%, यदि प्रबंध या पूर्णकालिक प्रबंधक या प्रबंधक है;

  (B) किसी अन्य मामले में शुद्ध लाभ का 3%।

अनुभाग 198 बताता है कि प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना के उद्देश्य से कंपनी के शुद्ध लाभ को अभिनिश्चित कैसे किया जाएगा।

अनुसूची V में चार भाग होते हैं। भाग I केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशक या किसी प्रबंधक की नियुक्ति के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों को बताता है। भाग II लाभ कमाने वाली कंपनियों और साथ ही लाभ ना कमाने या अपर्याप्त लाभ कमाने वाली कंपनियों द्वारा प्रबंधकीय व्यक्ति को देय पारिश्रमिक से संबंधित है। भाग III इस अनुसूची के भाग 1 और 2 पर प्रयोज्य प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है और भाग IV इस अनुसूची में किसी भी आवश्यकता में ढील देने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति से संबंधित है।

अनुसूची V के भाग II के तहत दिया गया सुसंगत विवरण इस प्रकार हैं:

© The Institute of Chartered Accountants of India

अनुभाग I - लाभ कमाने वाली कंपनियों द्वारा देय पारिश्रमिक:

अनुभाग 197 के प्रावधानों के अधीन, वित्तीय वर्ष में लाभ कमाने वाली कंपनी प्रबंधकीय व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों को पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है जो ऐसे अनुभाग में निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं हैं।

अनुभाग II - कोई लाभ ना कमाने या अपर्याप्त लाभ कमाने वाली कंपनियों द्वारा देय पारिश्रमिक:

जहां किसी वित्तीय वर्ष में एक प्रबंधकीय व्यक्ति के कार्यकाल की मुद्रा के दौरान, किसी कंपनी को कोई लाभ नहीं होता है या उसका लाभ अपर्याप्त होता है, तो यह प्रबंधकीय व्यक्ति को पारिश्रमिक का भुगतान कर सकता है जो नीचे दी गई *(A)* और *(B)* के तहत सीमा से अधिक नहीं है: -

(A)

	(1)	(2)
	जहां प्रभावी पूंजी है*	*वार्षिक देय पारिश्रमिक की सीमा (रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए*
(i)	ऋणात्मक या 5 करोड़ से कम	60 लाख
(ii)	5 करोड़ और उससे अधिक लेकिन 100 करोड़ से कम	84 लाख
(iii)	100 करोड़ और उससे अधिक लेकिन 250 करोड़ से कम	120 लाख
(iv)	250 करोड़ या उससे अधिक	120 लाख प्लस ₹ 250 करोड़ से आधिक्य की प्रभावी पूंजी का 0.01%।

बशर्ते कि यदि शेयरधारकों द्वारा पारित संकल्प एक विशेष संकल्प है तो उपरोक्त सीमा से आधिक्य पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण - इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि एक वर्ष से कम अवधि के लिए सीमाएं यथानुपाती होनी चाहिए।

(B) एक प्रबंधकीय व्यक्ति के मामले में जो एक पेशेवर क्षमता में काम कर रहा है, मद (A) के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है, यदि ऐसे प्रबंधकीय व्यक्ति का कंपनी या उसकी धारक कंपनी या उसकी किसी भी सहायक कंपनियों की पूंजी में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य वैधानिक संरचनाओं के माध्यम से कोई हित नहीं है और कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित, या नियुक्ति की तारीख से पहले या उस पर या उसके बाद पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी समय कंपनी या उसकी धारक कंपनी या उसकी किसी भी सहायक कंपनी के निदेशकों या

** इस यूनिट के उत्तरवर्ती पृष्ठों में अनुभाग IV के बाद प्रभावी पूंजी को स्पष्ट किया गया है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि प्रभावी पूंजी की परिभाषा देखें।*

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रमोटरों से संबंधित नहीं है और उस क्षेत्र में विशेषज्ञता और विशिष्ट ज्ञान के साथ स्नातक स्तर की योग्यता रखता है जिसमें कंपनी संचालित होती है:

बशर्ते कि कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना या योग्यता के आधार पर ऐसे कर्मचारियों को शेयरों के आवंटन के लिए बनाई गई किसी भी योजना के तहत कंपनी के किसी भी कर्मचारी के पास कंपनी के धारित शेयर्स का उसकी संदत्त शेयर पूंजी का 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए और उसे कंपनी की पूंजी में कोई हित ना रखने वाला व्यक्ति मानद किया जाना चाहिए;

बशर्ते आगे कि इस अनुभाग के मद (A) और (B) के तहत विनिर्दिष्ट सीमाएं लागू होनी चाहिए, यदि-

(*i*) *पारिश्रमिक का भुगतान बोर्ड द्वारा पारित एक संकल्प द्वारा और अनुभाग 178(1) के तहत आवृत कंपनी के मामले में भी नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है;*

(ii) *कंपनी किसी भी बैंक या लोक वित्तीय संस्था या गैर-संपरिवर्तन योग्य डिबेंचर धारी या किसी अन्य सुरक्षित ऋणदाता को देय राशि के भुगतान में किसी व्यतिक्रम के लिए वचनबद्ध नहीं है, और व्यतिक्रम के मामले में, बैंक या सरोकार रखने वाली लोक वित्तीय संस्था या गैर-संपरिवर्तन योग्य डिबेंचर धारी या अन्य सुरक्षित ऋणदाता, जैसी भी स्थिति हो, से सामान्य गोष्ठी में अनुमोदन प्राप्त करने से पहले कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाएगा।*

(iii) *एक साधारण संकल्प या एक विशेष संकल्प, जैसी भी स्थिति हो, मद (A) के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान के लिए पारित किया गया है या मद (B) के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान के लिए एक विशेष संकल्प पारित किया गया है, कंपनी की सामान्य गोष्ठी में 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं।*

(iv) *खंड (iii) में निर्दिष्ट सामान्य गोष्ठी बुलाने की सूचना के साथ एक विवरण-पत्र निम्नलिखित जानकारी वाले शेयरधारकों को दिया जाता है, अर्थात्: -*

I. सर्वसाधारण की जानकारी:

(1) उद्योग की प्रकृति

(2) वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख या अपेक्षित तारीख

(3) नई कंपनियों के मामले में, विवरण-पत्रिका में उपस्थित होने वाले वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुमोदित परियोजना के अनुसार क्रियाकलापों के प्रारम्भ की अपेक्षित तारीख

(4) दिए गए संकेतकों के आधार पर वित्तीय निष्पादन

(5) विदेशी निवेश या सहकार्यता, यदि कोई हो।

II. नियुक्त व्यक्ति के बारे में जानकारी:

(1) पृष्ठभूमि का ब्यौरा

(2) पिछला पारिश्रमिक

(3) मान्यता या पुरस्कार

© The Institute of Chartered Accountants of India

(4) कार्य की प्रोफाइल और उसकी उपयुक्तता

(5) प्रस्तावित पारिश्रमिक

(6) उद्योग, कंपनी के आकार, स्थिति और व्यक्ति के प्रोफ़ाइल के संबंध में तुलनात्मक पारिश्रमिक प्रोफ़ाइल (प्रवासियों के मामले में सुसंगत ब्यौरा उसके मूल देश से संबंधित होगा)

(7) कंपनी के साथ प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक संबंध, या प्रबंधकीय कर्मियों के साथ संबंध, यदि कोई हो।

III. अन्य जानकारी:

(1) हानि या अपर्याप्त लाभ के कारण

(2) सुधार के लिए उठाए गए कदम या उठाये जाने के लिए प्रस्तावित कदम

(3) मापने योग्य शर्तों में उत्पादकता और मुनाफे में अपेक्षित वृद्धि।

IV. प्रकटीकरण:

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न "निगमित शासन" शीर्षक यदि कोई हो, के तहत निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रकटीकरणों का उल्लेख किया जाना चाहिए: -

(i) सभी निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज जैसे वेतन, लाभ, बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन, आदि, के सभी तत्व;

(ii) निष्पादन मानदंड के साथ निश्चित घटक और निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों का ब्यौरा;

(iii) सेवा संविदा, सूचना अवधि, विभाजन फीस;

(iv) स्टॉक विकल्प ब्यौरा, यदि कोई हो, और चाहे उसे बट्टे पर जारी किया गया हो और साथ ही वह अवधि जिसके दौरान प्रोद्भूत किया गया हो और जिसमें प्रयोक्तव्य किया जा सकता है।

अनुभाग III - कतिपय विशेष परिस्थितियों में बिना लाभ या अपर्याप्त लाभ वाली कंपनियों द्वारा देय पारिश्रमिक

निम्नलिखित परिस्थितियों में एक कंपनी प्रबंधकीय व्यक्ति को उपरोक्त अनुभाग II में प्रदान की गई राशियों से आधिक्य पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है: -

(a) जहां अनुभाग I या II में निर्दिष्ट सीमा से आधिक्य पारिश्रमिक का भुगतान किसी अन्य कंपनी द्वारा किया जाता है और वह दूसरी कंपनी या तो एक विदेशी कंपनी हो या उसे इस तरह के भुगतान के लिए सामान्य गोष्ठी में अपने शेयरधारकों का अनुमोदन मिला हो, और इस राशि को अनुभाग 197 के प्रयोजन के लिए प्रबंधकीय पारिश्रमिक के रूप में मानते हैं और ऐसी दूसरी कंपनी द्वारा उसके प्रबंधकीय व्यक्तियों को देय कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक, जिसमें ऐसी राशि या राशियां शामिल है, अनुभाग 197 के तहत अनुमेय सीमा के भीतर होता है।

(b) जहां कंपनी-

© The Institute of Chartered Accountants of India

(i) एक नई सम्मिलित कंपनी है, इसके सम्मिलित होने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए, या

(ii) एक रुग्ण कंपनी है, जिसके लिए पुनः प्रवर्तन की योजना की मंज़ूरी की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड द्वारा पुनः प्रवर्तन या पुनर्वास की योजना का आदेश दिया गया है,

(iii) एक कंपनी है जिसके संबंध में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 के तहत इस तरह की मंजूरी की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए एक संकल्प योजना को मंजूरी दी गई है, यह अपने प्रबंधकीय कर्मचारियों को किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है।

(c) जहां एक प्रबंधकीय कर्मचारी का पारिश्रमिक अनुभाग II में सीमा से अधिक है, लेकिन पारिश्रमिक औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड या राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा तय किया गया है:

बशर्ते कि इस अनुभाग के तहत सीमाएं अनुभाग II के तहत निर्दिष्ट सभी शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों को पूरा करने के अधीन लागू होनी चाहिए: -

(i) इस अनुभाग के पैरा (ए) में दिए गए प्रावधान के अलावा, प्रबंधकीय कर्मचारी किसी अन्य कंपनी से पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा है;

(ii) कंपनी के लेखापरीक्षक या कंपनी सचिव या जहां कंपनी ने एक सचिव को नियुक्त ना किया हो, वहां पूर्णकालिक कार्य करने वाला सचिव, प्रमाणित करता है कि सभी सुरक्षित लेनदारों और सावधि उधारदाताओं ने लिखित रूप में बताया है कि उन्हें प्रबंधकीय कर्मचारी की नियुक्ति और साथ ही पारिश्रमिक की मात्रा से कोई आपत्ति नहीं है और और इस तरह के प्रमाण पत्र को अनुभाग 196 की उप-धारा (4) के तहत निर्धारित विवरणी के साथ दाखिल किया जाता है।

(iii) कंपनी के लेखापरीक्षक या कंपनी सचिव या जहां कंपनी ने एक सचिव को नियुक्त ना किया हो, वहां पूर्णकालिक कार्य करने वाला सचिव, प्रमाणित करता है कि किसी भी लेनदार को भुगतान में कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ है, और जमा धारकों को सभी बकाया राशि का समय पर निपटान किया जा रहा है।

(d) वाणिज्य विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित एक विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में एक कंपनी जिसने भारत में शेयरों या डिबेंचर के पब्लिक इश्यू द्वारा कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया है, और अपने किसी भी ऋण (सार्वजनिक जमा सहित) या डिबेंचर या किसी भी वित्तीय वर्ष में लगातार तीस दिनों की अवधि के लिए देय ब्याज के पुनर्भुगतान में भारत में कोई व्यतिक्रम नहीं किया है, प्रति वर्ष ₹ 2,40,00,000 तक पारिश्रमिक का भुगतान कर सकता है।

अनुभाग IV -परिलब्धियाँ जो प्रबन्धकीय पारिश्रमिक में शामिल नहीं हैं:

1. एक प्रबंधकीय कर्मचारी को निम्नलिखित परिलब्धियों के लिए पात्र होना चाहिए जिन्हें अनुभाग II और खंड III में निर्दिष्ट पारिश्रमिक पर उच्चतम सीमा की गणना में शामिल नहीं किया जाना

© The Institute of Chartered Accountants of India

चाहिए: -

(a) भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि या वार्षिकी निधि में योगदान उस सीमा तक जो या तो अकेले या एक साथ मिलाकर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य नहीं हैं;

(b) एक दर पर देय उपदान सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे महीने के वेतन से अधिक नहीं है; और

(c) कार्यकाल के अंत में अवकाश का नकदीकरण।

2. इस अनुभाग के पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट परिलब्धियों के अलावा, एक प्रवासी प्रबंधकीय कर्मचारी (एक अनिवासी भारतीय सहित) निम्नलिखित परिलब्धियों के लिए पात्र होना चाहिए जो कि अनुभाग II या III में निर्दिष्ट पारिश्रमिक पर उच्चतम सीमा की गणना में शामिल नहीं होना चाहिए-

(a) बच्चों का शिक्षा भत्ता: भारत में या बाहर पढ़ने वाले बच्चों के मामले में, भत्ता अधिकतम ₹ 12,000 प्रति माह प्रति बच्चा या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, तक सीमित होता है। ऐसा भत्ता अधिकतम दो बच्चों के लिए स्वीकार्य है।

(b) भारत से बाहर पढ़ने वाले बच्चों या विदेश में रहने वाले परिवार के लिए छुट्टी का मार्ग: इकोनॉमी क्लास से साल में एक बार या बच्चों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए उसके अध्ययन के स्थान या विदेश के रहने के स्थान से भारत तक फस्ट क्लास से दो साल में एक बार वापसी अवकाश मार्ग यदि वे भारत में नहीं रहते हैं, और प्रबंधकीय कर्मचारी हैं।

(c) अवकाश यात्रा रियायत: कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार स्वयं और परिवार के लिए वापसी मार्ग जहां यह प्रस्तावित है कि छुट्टी भारत में कहीं भी खर्च करने के बजाय गृह-देश में खर्च की जाए।

स्पष्टीकरण I- इस भाग के अनुभाग II के प्रयोजनों के लिए, **"प्रभावी पूंजी"** का अर्थ है संदत्त शेयर पूँजी का योग (शेयर आवेदन राशि या शेयरों के खिलाफ अग्रिम को छोड़कर); राशि, यदि कोई हो, कुछ समय के लिए शेयर प्रीमियम लेखा में जमा करने के लिए स्थाई है; संचित निधि और अधिशेष (पुनर्मूल्यांकन संचित निधि को छोड़कर); दीर्घावधि ऋण और जमा जो एक वर्ष के बाद प्रतिदेय हैं(कार्यशील पूंजी ऋण, ओवर ड्राफ्ट, ऋण पर देय ब्याज, जब तक कि वित्त पोषित नहीं है, बैंक गारंटी, आदि, और अन्य अल्पकालिक व्यवस्था को छोड़कर) जिसमें से किसी भी निवेश के योग को कम किया जाता है (एक निवेश कंपनी द्वारा निवेश के मामले को छोड़कर जिसका मुख्य व्यवसाय शेयरों, स्टॉक, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों का अर्जन है), संचित हानि और प्रारंभिक व्यय जिसे बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

स्पष्टीकरण II- (ए) जहां प्रबंधकीय कर्मचारी की नियुक्ति उस वर्ष में की गयी है जिसमें कंपनी को सम्मिलित किया गया है, प्रभावी पूंजी की गणना ऐसी नियुक्ति की तारीख के अनुसार की जानी चाहिए;

(b) किसी अन्य मामले में प्रभावी पूंजी की गणना उस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार की जानी चाहिए जिसमें वित्तीय वर्ष से पहले प्रबंधकीय कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है।

स्पष्टीकरण III- इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, "परिवार" का अर्थ है प्रबंधकीय व्यक्ति का

© The Institute of Chartered Accountants of India

जीवनसाथी, आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता।

स्पष्टिकरण IV- नामांकन और पारिश्रमिक समिति को अनुभाग II या अनुभाग III के तहत पारिश्रमिक का अनुमोदन करते समय, निम्नलिखित को करना चाहिए-

(a) कंपनी की वित्तीय स्थिति, उद्योग में प्रचलन, नियुक्त व्यक्ति की योग्यता, अनुभव, पिछले प्रदर्शन, पिछले पारिश्रमिक, आदि पर विचार करना चाहिए;

(b) कंपनी और शेयरधारकों के हितों के बीच संतुलन बनाते हुए पारिश्रमिक पैकेज के निर्धारण में निष्पक्षता लाने की स्थिति में होना।

स्पष्टीकरण V- इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, "नकारात्मक प्रभावी पूंजी" का अर्थ उस प्रभावी पूंजी से है जिसकी गणना इस भाग के स्पष्टीकरण I में निहित प्रावधानों के अनुसार शून्य से कम है।

स्पष्टीकरण VI- इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए:-

(A) "वर्तमान प्रासंगिक लाभ" का अर्थ अनुभाग 198 के तहत गणना के अनुसार लाभ है, लेकिन उन वर्षों के संबंध में उप-धारा 4 (I) में संदर्भित आय से अधिक व्यय को घटाए बिना, जिसके दौरान प्रबंधकीय व्यक्ति कंपनी या उसकी होल्डिंग या सहायक कंपनियों का कर्मचारी, निदेशक या शेयरधारक नहीं था।

(B) "पारिश्रमिक" का अर्थ है अनुभाग 2 के खंड 78 में परिभाषित पारिश्रमिक से है और इसमें प्रबंधकीय कर्मचारी को किसी भी प्रत्यक्ष कर की प्रतिपूर्ति शामिल है।

अनुभाग V- दो कंपनियों में प्रबंधकीय व्यक्ति को देय पारिश्रमिक:

अनुभाग I से IV के प्रावधानों के अधीन, एक प्रबंधकीय व्यक्ति को एक या दोनों कंपनियों से पारिश्रमिक प्राप्त करना चाहिए, बशर्ते कि कंपनियों से लिया गया कुल पारिश्रमिक उन कंपनियों में से किसी से भी स्वीकार्य अधिकतम सीमा से अधिक न हो, जिसका वह प्रबंधकीय कर्मचारी है।

टिप्पणी: इस अनुसूची के अनुभाग I और अनुभाग II में विनिर्दिष्ट नियुक्ति और पारिश्रमिक को सामान्य बैठक में शेयरधारकों के एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदन के अधीन होना चाहिए।

प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए लाभ का निर्धारण

जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि एक कंपनी को लाभ होने पर, प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना शुद्ध लाभ पर प्रतिशत के रूप में की जाती है। इस प्रकार का शुद्ध लाभ कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 198 के प्रावधानों के अनुसार निकाला जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार,

(I) पूर्वोक्त गणना करने में, किसी भी सरकार, या किसी भी सरकार द्वारा इस संबंध में गठित या अधिकृत किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से प्राप्त उदारता और सब्सिडी के लिए क्रेडिट दिया जाना चाहिए, जब तक कि केंद्र सरकार अन्यथा निर्देश न दे।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(II) शुद्ध लाभ की गणना करने में, निम्नलिखित राशियों के लिए क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए, अर्थात्: -

(a) कंपनी के शेयरों या डिबेंचर पर प्रीमियम के रूप में लाभ, जो कंपनी द्वारा जारी किये या बेचे जाते हैं

(b) कंपनी द्वारा समपहृत शेयरों की बिक्री पर लाभ

(c) कंपनी या उसके किसी हिस्से के उपक्रम या किसी उपक्रम की बिक्री से लाभ सहित पूंजीगत प्रकृति का लाभ

(d) उपक्रम या कंपनी के किसी भी उपक्रम में समाविष्ट किसी भी अचल संपत्ति या पूंजीगत प्रकृति की अचल संपत्तियों की बिक्री से लाभ, जब तक कि कंपनी के व्यवसाय में ऐसी किसी भी संपत्ति या आस्ति की खरीदारी या बिक्री का पूर्णतः या अंशतः भाग शामिल न हों : बशर्ते कि जिस राशि में कोई अचल संपत्ति बेची जाती है, वह उसके अवलिखित मूल्य से अधिक हो, तो उतन अधिक क्रेडिट किया जाना चाहिए जो उस स्थिर आस्तियों की मूल लागत और उसके अवलिखित मूल्य के बीच के अंतर से अधिक नहीं है

(e) आस्तियों या उचित मूल्य पर दायित्व की माप पर लाभ और हानि लेखा में अधिशेष सहित इक्विटी संचित निधि में मान्य किसी आस्ति या दायित्व की अग्रणीत राशि में कोई परिवर्तन

(III) पूर्वोक्त गणना करते समय, निम्नलिखित राशि की कटौती की जानी चाहिए, अर्थात्: -

(a) सभी सामान्य कार्यप्रणाली प्रभार

(b) निदेशक का पारिश्रमिक

(c) कंपनी के कर्मचारियों के किसी भी सदस्य या किसी इंजीनियर, तकनीशियन या कंपनी द्वारा नियोजित या नियुक्त व्यक्ति को भुगतान या देय बोनस या कमीशन, चाहे वह पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर हो

(d) आधिक्य या असामान्य लाभ पर कर की प्रकृति के रूप में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी कर

(e) विशेष कारणों से या विशेष परिस्थितियों में अधिरोपित और इस निमित्त में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित व्यावसायिक लाभ पर कोई कर

(f) कंपनी द्वारा जारी डिबेंचर पर ब्याज

(g) कंपनी द्वारा निष्पादित बंधक पर और उसकी अचल या अस्थायी संपत्तियों पर प्रभार द्वारा सुरक्षित ऋण और अग्रिमों पर ब्याज

(h) असुरक्षित ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज

(i) मरम्मत पर व्यय, चाहे अचल या चल संपत्ति हो, बशर्ते मरम्मत पूँजीगत प्रकृति की न हो

© The Institute of Chartered Accountants of India

(j) अधिनियम के अनुभाग 181 के तहत किए गए योगदान सहित लागत

(k) अधिनियम के अनुभाग 123 में निर्दिष्ट सीमा तक मूल्यह्रास

(l) आय से अधिक व्यय, जो किसी भी वर्ष में इस अनुभाग के अनुसार शुद्ध लाभ की गणना में उत्पन्न हुआ था, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके बाद शुरू होता है, जहां तक इस तरह की अधिकता को उस वर्ष से पहले के किसी भी बाद के वर्ष में नहीं काटा गया है जिसके संबंध में शुद्ध लाभ को अभिनिश्चित किया जाना है

(m) किसी भी कानूनी दायित्व के आधार पर भुगतान किया जाने वाली कोई क्षतिपूर्ति या हर्जाना जिसमें अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले दायित्व सम्मिलित हैं

(n) किसी भी दायित्व को पूरा करने के जोखिम के खिलाफ बीमा के माध्यम से भुगतान की गई कोई भी राशि जैसे कि खंड (m) में संदर्भित किया गया है

(o) लेखा वर्ष के दौरान डूबे और बट्टे खाते मे डाले गए या समायोजित किए गए ऋण

(IV) पूर्वोक्त गणना करते समय, निम्नलिखित राशियों की कटौती नहीं की जानी चाहिए, अर्थात्: -

(a) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कंपनी द्वारा देय आयकर और अधिकर, या उप-धारा (4) के खंड (डी) और (ई) के तहत नहीं आने वाली कंपनी की आय पर कोई अन्य कर

(b) स्वेच्छा से की गई कोई क्षतिपूर्ति, हर्जाने या भुगतान, जो कि उप-धारा (4) के खंड (एम) में संदर्भित देयता के आधार पर अन्यथा है।

(c) उपक्रम या कंपनी के किसी भी उपक्रम या उसके किसी भी हिस्से की बिक्री पर नुकसानस सहित पूँजीगत प्रकृति की हानि, इसमें किसी भी आस्ति के अवलिखित मूल्य का आधिक्य शामिल नहीं है जो उसकी विक्रय आगम से प्राप्त आय या उसके अवशिष्ट मूल्य पर बिक्रीत, त्यक्त, ध्वस्त या नष्ट किया जाता है

(d) आस्तियों या उचित मूल्य पर दायित्व की माप पर लाभ और हानि लेखा में अधिशेष सहित इक्विटी संचित निधि में मान्य किसी आस्ति या दायित्व की अग्रणीत राशि में कोई परिवर्तन

उदाहरण 1

X लिमिटेड के तुलनपत्र का निम्नलिखित सार प्राप्त किया गया था:

31 मार्च, 20X1 को तुलन पत्र (सार)

दायित्व	₹
प्राधिकृत पूँजी	
20,000, ₹ 100 के 14%अधिमानी शेयर	*20,00,000*
2,00,000 ₹ 100 प्रत्येक के इक्विटी शेयर्स	*2,00,00,000*
	2,20,00,000

जारी की गई और अभिदाय पूँजी:	
15,000, पूरी तरह से भुगतान किये गए ₹ 100 प्रत्येक के 14% अधिमानी शेयर	*15,00,000*
₹ 100 प्रति के 1,20,000 इक्विटी शेयर, ₹ 80 सन्दत्त	*96,00,000*
शेयर उचंत खाता	*20,00,000*
संचित निधि और अधिशेष:	
पूँजी संचित निधि (संचित निधि का पुनर्मूल्यांकन ₹ 1,50,000 है)	*1,95,000*
प्रतिभूतियाँ प्रीमियम	*50,000*
सुरक्षित ऋण:	
15% डिबेंचर्स	*65,00,000*
असुरक्षित ऋण:	
सार्वजनिक जमा	*3,70,000*
SBI से नकद क्रेडिट ऋण (अल्पकालिक)	*4,65,000*
चालू दायित्व:	
व्यापार देय	*3,45,000*
आस्तियाँ:	
शेयरों, डिबेंचर आदि में निवेश।	*75,00,000*
लाभ और हानि लेखा (नामे शेष)	*15,25,000*

शेयर मुअत्तली खाता ऐसे शेयरों से प्राप्त आवेदन राशि को निरूपित करता है, जिसका आवंटन अभी तक नहीं किया गया है।

आपको अनुसूची V के प्रावधानों के अनुसार प्रभावी पूंजी की गणना करने की आवश्यकता है। क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि X लिमिटेड एक निवेश कंपनी है?

समाधान

प्रभावी पूँजी की संगणना:

	जहां X लिमिटेड एक गैर-निवेश कंपनी है **₹**	*जहां X लिमिटेड एक निवेश कंपनी है* **₹**
संदत्त शेयर पूँजी-		
15,000, 14% अधिमानी शेयर	15,00,000	15,00,000
1,20,000 इक्विटी शेयर	96,00,000	96,00,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

पूँजी संचित निधि (1,95,000 – 1,50,000)	45,000	45,000
प्रतिभूतियाँ प्रीमियम	50,000	50,000
15% डिबेंचर्स	65,00,000	65,00,000
सार्वजनिक जमा	3,70,000	3,70,000
(A)	1,80,65,000	1,80,65,000
निवेश	75,00,000	—
लाभ और हानि लेखा (नामे शेष)	15,25,000	15,25,000
(B)	90,25,000	15,25,000
प्रभावी पूँजी (A–B)	90,40,000	1,65,40,000

उदाहरण 2

एक गैर-निवेश कंपनी, कुमार लिमिटेड पिछले कुछ वर्षों से घाटे में चल रही है। कंपनी चालू वर्ष के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करती है:

	(₹ लाख में)
सन्दत्त इक्विटी शेयर पूँजी	*120*
सन्दत्त अधिमान शेयर पूँजी	*20*
संचित निधि (पुनर्मूल्यांकन संचित निधिसहित ₹ 10 lakhs)	*150*
प्रतिभूतियाँ प्रीमियम	*40*
दीर्घावधि ऋण	*40*
एक वर्ष के बाद प्रतिदेय जमा राशि	*20*
आवंटन के लिए लंबित आवेदन की राशि	*720*
संचित हानि जिसे अपलिखित नहीं किया गया है	*20*
निवेश	*180*

कुमार लिमिटेड के पास केवल एक पूर्णकालिक निदेशक, मिस्टर X है। यदि तीन साल से कम की अवधि के लिए पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में कंपनी की आम बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता है, तो आपको उस अधिकतम पारिश्रमिक की गणना करने की आवश्यकता है जिसका उसे भुगतान किया जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

समाधान

प्रभावी पूंजी की गणना और मासिक पारिश्रमिक की अधिकतम राशि

	(₹ लाख में)
सन्दत्त इक्विटी शेयर पूँजी	*120*
सन्दत्त अधिमान शेयर पूँजी	*20*
पुनर्मूल्यांकन संचित निधि को छोड़कर संचित निधि (150- 10)	*140*
प्रतिभूतियाँ प्रीमियम	*40*
दीर्घावधि ऋण	*40*
एक वर्ष के बाद प्रतिदेय जमा राशि	*20*
	380
माइनस:संचित हानि जिसे अपलिखित नहीं किया गया है	*(20)*
निवेश	*(180)*
प्रबंधकीय पारिश्रमिक के प्रयोजन के लिए प्रभावी पूंजी	*180*

चूंकि कुमार लिमिटेड घाटे में चल रही है और पारिश्रमिक के भुगतान के लिए कंपनी द्वारा कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है, प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना कंपनी की प्रभावी पूंजी के आधार पर की जाएगी, इसलिए प्रबंध निदेशक को देय अधिकतम पारिश्रमिक @ ₹ 60,00,000 प्रति वर्ष होना चाहिए ।

टिप्पणी: कुमार लिमिटेड की प्रभावी पूंजी की गणना करते समय पुनर्मूल्यांकन संचित निधि, और आवेदन की राशि को नहीं शामिल किया जाता है जिसका आवंटन लंबित है।

उदाहरण 3

मुद्रा लिमिटेड 31 मार्च, 20X1 को समाप्त वर्ष में निम्नलिखित जानकारी देता है:

	₹
सकल लाभ	*40,25,365*
सरकार से प्राप्त सब्सिडी।	*2,73,925*
प्रशासकीय, बिक्री और वितरण के खर्च	*8,22,542*
निदेशक की फीस	*1,34,780*
प्रोद्भूत डिबेंचर्स पर	*31,240*
प्रबन्धकीय पारिश्रमिक	*2,85,350*
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE) पर मूल्यह्रास	*5,22,543*

© The Institute of Chartered Accountants of India

कराधान के लिए प्रावधान	*12,42,500*
जनरल संचित निधि में स्थानांतरण	*4,00,000*
निवेश पुनर्मूल्यांकन संचित निधि में स्थानांतरण	*12,500*

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार PPE पर मूल्यह्रास ₹ 5,75,345 था। आपको कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा की गणना करना है।

समाधान

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 198 के अंतर्गत शुद्ध लाभ की गणना

	₹	₹
सकल लाभ		40,25,365
जोड़ें: सरकार से प्राप्त सहायिकी		2,73,925
		42,99,290
घटाएं: प्रशासनिक, विक्रय और वितरण व्यय	8,22,542	
निदेशक की फीस	1,34,780	
प्रोद्भूत डिबेंचर्स पर	31,240	
अनुसूची II के अनुसार PPE पर मूल्यह्रास	5,75,345	(15,63,907)
धारा 198 के तहत लाभ		27,35,383

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक = ₹ 27,35,383 का 11% = ₹ 3,00,892

1.7 विभाज्य लाभ

कंपनी लेखांकन के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक लाभ की राशि निर्धारित करना है जो शेयरधारकों को लाभांश के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध है। यह आवश्यक है क्योंकि लाभ और हानि लेखा द्वारा प्रकट की गई लाभ की राशि, हर मामले में, वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होता है। वितरण के लिए लाभ की उपलब्धता कई कारकों पर निर्भर करती है, उदाहरण के लिए, *उनकी* संरचना, प्रावधानों की राशि और विनियोग जो उनमें से प्राथमिकता में किए जाने चाहिए, आदि।

लाभांश का अर्थ

(a) लाभांश कंपनी के सदस्यों के बीच कंपनी की पूंजी में उनमें से प्रत्येक द्वारा धारित शेयरों की संख्या और उससे जुड़े अधिकारों के अनुसार एक कंपनी के विभाज्य लाभ का वितरण है।

(b) इस तरह के वितरण में आस्ति का विमोचन हो भी सकती है और नहीं भी; यह उस जगह पर होगा जहां वितरण का भुगतान नगदी में होता है।

(c) लेकिन जब लाभ को पूंजीकृत किया जाता है और वितरित राशि का उपयोग शेयरधारकों को

© The Institute of Chartered Accountants of India

मुफ्त जारी किए गए बोनस शेयरों के भुगतान के लिए किया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि कंपनी की आस्ति का कोई हिस्सा जारी किया गया है, ऐसे मामले में, केवल लाभ को पूंजीकृत किया जाता है, जिससे कंपनी की संदत्त पूंजी में वृद्धि होती है। कंपनी कोई आस्ति नहीं त्यागती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 2 (35) के अनुसार, "लाभांश" शब्द में अंतरिम लाभांश भी शामिल है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 123 (1) के तहत, किसी कंपनी द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के लिए कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि-

(a) उस वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के मुनाफे में से, जो अनुभाग 123(2) के प्रावधानों के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान करने के बाद आया था, या

(b) जो किसी भी पिछले वित्तीय वर्षों के मुनाफे में से उस उप-धारा के प्रावधानों के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान करने के बाद प्राप्त हुआ और अभी भी अवितरित है; या

(c) उपरोक्त दोनों में से;

(d) उस धनराशि में से जिसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई किसी गारंटी के अनुसरण में कंपनी द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए उस सरकार द्वारा प्रदान किया गया है

परंतु यह तब जब कि किसी कंपनी द्वारा मुक्त संचित निधि के अलावा अपनी संचित निधि से कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

लाभांश की घोषणा यह मानती है कि वितरण के लिए एक कारोबारी लाभ या अधिशेष उपलब्ध है, जो न केवल उस वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रदान करने के बाद आया है जिसमें लाभ अर्जित किया गया था, बल्कि पिछले वर्षों के मूल्यह्रास के किसी भी बकाया प्रदान करने के बाद आया था जिसकी गणना अनुभाग 123 की उप-धारा (2) द्वारा निर्धारित तरीके से की गई है।

अनुभाग 124 की उप-धारा (3) आगे बताती है कि किसी कंपनी का निदेशक मंडल किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ और हानि लेखा में अधिशेष में से और उस वित्तीय वर्ष के मुनाफे में से अंतरिम लाभांश की घोषणा कर सकता है जिसमें ऐसा अंतरिम लाभांश घोषित करने की मांग की गई है: बशर्ते कि यदि कंपनी को चालू वित्त वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से ठीक पहले की तिमाही के अंत तक नुकसान हुआ है, तो ऐसे अंतरिम लाभांश को कंपनी द्वारा ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान घोषित औसत लाभांश से अधिक दर पर घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

मुनाफे को छोड़कर लाभांश घोषित नहीं किया जा सकता है।
शेयरधारकों को लाभांश के रूप में पूंजी वापस नहीं की जा सकती है।

लाभांश की घोषणा और भुगतान कंपनी द्वारा केवल लाभ या मुक्त संचित निधि (केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए धन के अलावा) में से किया जा सकता है क्योंकि किसी अन्य स्रोत से लाभांश का भुगतान पूंजी इकाइयों से लाभांश के भुगतान के बराबर होगा।

अनुभाग 123(2) में कहा गया है कि मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट सीमा

© The Institute of Chartered Accountants of India

तक प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जब किसी भी वित्तीय वर्ष में आस्तियां बिक्रीत की जाती है, त्यक्त की जाती है, ध्वस्त कर दी जाती है या नष्ट कर दी जाती है, तो अवशिष्ट के रूप में इसके विक्रय आगम पर अपलिखित मूल्य का आधिक्य, यदि कोई हो, उसी वित्तीय वर्ष में बट्टे खाते में डाला जाना चाहिए।

लाभांश की घोषणा और भुगतान

अनुभाग 123 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजन के लिए, कंपनी पिछले वर्षों में उसके द्वारा अर्जित संचित लाभों में से लाभांश की घोषणा कर सकती है और किसी भी वर्ष में मुनाफे की अपर्याप्तता या अनुपलब्धता की स्थिति में इसे संचित निधि में स्थानांतरित कर सकती है, जो कंपनी (लाभांश की घोषणा और भुगतान) नियम, 2014 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा:

(1) घोषित लाभांश की दर उस दर के औसत से अधिक नहीं होनी चाहिए जिस पर उस वर्ष के ठीक पहले के तीन वर्षों में लाभांश घोषित किया गया था: बशर्ते कि यह उप-नियम ऐसी कंपनी पर लागू नहीं होना चाहिए, जिसने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

(2) घोषित लाभांश की दर उस दर के औसत से अधिक नहीं होनी चाहिए जिस पर उस वर्ष के ठीक पहले के तीन वर्षों में लाभांश घोषित किया गया था: बशर्ते कि यह उप-नियम ऐसी कंपनी पर लागू नहीं होना चाहिए, जिसने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

(3) इस प्रकार आहृत राशि का उपयोग सबसे पहले उस वित्तीय वर्ष में हुई हानियों को निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए जिसमें इक्विटी शेयरों के संबंध में किसी लाभांश की घोषणा से पहले लाभांश घोषित किया जाता है।

(4) इस तरह के प्रत्याहरण के बाद संचित निधि का अतिशेष इसकी संदत्त शेयर पूंजी का 15% से कम नहीं होनी चाहिए जैसा कि नवीनतम लेखा-परीक्षा किए गए वित्तीय विवरणों में उपस्थित होता है।

(5) किसी भी कंपनी को तब तक लाभांश की घोषणा नहीं करनी चाहिए जब तक कि पूर्व वर्ष में उपबंध नहीं किए गए अग्रानीत पिछले नुकसान और मूल्यह्रास को चालू वर्ष के कंपनी के लाभ के विरूद्ध निर्धारित नहीं किया जाता है, पूर्व वर्षों में नुकसान या मूल्यह्रास, जो भी कम हो, उसे उस वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के विरूद्ध निर्धारित किया जाता है, जिस वर्ष के लिए लाभांश घोषित या संदत्त किया जाता है।

संचित निधि में स्थानांतरण

I निदेशक बोर्ड स्वतंत्र है और कंपनी अधिनियम, 2013 अनुभाग 123(1) के अनुसार लाभ का हिस्सा किसी संचित निधि या संचित निधियों में समुचित कर सकता है।

II कभी-कभी कानून के तहत लाभ के हिस्से का विनियोग किया जाता है।

(a) उदाहरण के लिए, बैंककारी विनियमन अधिनियम के तहत, किसी भी लाभांश को

© The Institute of Chartered Accountants of India

वितरित करने से पहले बैंककारी कंपनी के लाभ का एक निश्चित प्रतिशत सामान्य संचित निधि में पहले स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

(b) लाभ के हिस्से को संचित निधि में स्थानांतरित करना भी आवश्यक है, जहां कंपनी को ऋण इकट्ठा करते समय, इस बात के लिए वचनबद्ध किया गया है कि अपने लाभ के किसी भी हिस्से को वितरित करने से पहले, हर वर्ष लाभ का एक निर्दिष्ट प्रतिशत ऋण के पुनर्भुगतान के लिए संचित निधि में जमा किया जाना चाहिए और पुनर्भुगतान का समय आने तक, राशि को एक निर्दिष्ट तरीके से निवेश किया जाना चाहिए।

III उपर्युक्त विनियोगों के अलावा, जैसा कि पहले बताया गया है कि विभाज्य लाभ की राशि तक पहुंचने के लिए, मूल्यह्रास के नुकसान और बकायों को जुटाने और पूंजीगत लाभ को अपवर्जित करने के लिए भी आवश्यक हो सकता है।

लाभांश की घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 123 के अनुसार, कंपनी के निदेशक बोर्ड किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में अधिशेष में से और वित्तीय वर्ष के मुनाफे में से अंतरिम लाभांश सहित लाभांश की घोषणा कर सकते हैं, जिसमें इस तरह का अंतरिम लाभांश घोषित करने की मांग की गई है:

बशर्ते कि यदि कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तिमाही के अंत तक हानि उपगत की है, तो ऐसे अंतरिम लाभांश को कंपनी द्वारा तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान घोषित औसत लाभांश से उच्चतर दर पर घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

अंतरिम लाभांश सहित लाभांश की राशि, ऐसे लाभांश की घोषणा की तारीख से पांच दिनों के भीतर एक अलग खाते में अनुसूचित बैंक में जमा की जानी चाहिए।

ऐसे शेयर के पंजीकृत शेयरधारक या उसके आदेश या उसके बैंकर के अलावा किसी कंपनी द्वारा किसी भी शेयर के संबंध में किसी भी लाभांश का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए और नकद के अलावा देय नहीं होना चाहिए: बशर्ते कि अनुभाग 123 में ऐसा कुछ भी पूरी तरह से संदत्त बोनस शेयर को जारी करने या कंपनी के सदस्यों द्वारा धारित किसी भी शेयर पर कुछ समय के लिए अवैतनिक राशि का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी के मुनाफों या संचित निधियों के पूंजीकरण को निषेध करना मान्य होना चाहिए:

बशर्ते आगे कि नकद में देय किसी भी लाभांश का भुगतान लाभांश के भुगतान के हकदार शेयरधारकों को चेक या अनुज्ञा-पत्र या किसी इलेक्ट्रॉनिक ढंग से किया जा सकता है।

अधिमान शेयरों पर लाभांश

(a) अधिमानी शेयर के धारक इक्विटी शेयरों पर किसी भी लाभांश की घोषणा से पहले एक निश्चित दर पर लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं।

(b) लेकिन इस तरह का अधिकार प्रयुक्त किया गया लाभ होने और निदेशकों द्वारा लाभांश के भुगतान की सिफारिश करने के अधीन किया जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

अंशतः भुगतान किए गए शेयरों पर लाभांश:

➢ एक कंपनी अपने अनुच्छेद द्वारा अधिकृत होने पर, प्रत्येक शेयर पर भुगतान की गई राशि के अनुपात में लाभांश का भुगतान कर सकती है (कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 51)।

अग्रिम याचना

अग्रिम सन्दत्त याचना लाभांश के भुगतान के लिए रैंक नहीं करती हैं।

लाभांश का भुगतान

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 124 के अनुसार:

(1) जहां किसी कंपनी द्वारा लाभांश घोषित की गई है, लेकिन घोषणा की तारीख से तीस दिनों के भीतर लाभांश के भुगतान के लिए हकदार किसी भी शेयरधारक को भुगतान या उसके द्वारा दावा नहीं किया गया है, तो कंपनी को, उक्त तीस दिनों की अवधि की समाप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर, लाभांश की कुल राशि, जो अवैतनिक या अदावाकृत रहता है, उसे कंपनी द्वारा किसी अनुसूचित बैंक में इस संबंध में खोले गए विशेष खाते में स्थानांतरित कर देना चाहिए, जिसे अवैतनिक लाभांश खाता कहा जाता है।

(2) किसी भी कंपनी को, इस धारा के तहत अवैतनिक लाभांश खाते में नब्बे दिनों की अवधि के भीतर उस राशि के स्थानांतरण करने के लिए, नाम, उनका अंतिम ज्ञात पता और प्रत्येक व्यक्ति को भुगतान किए जाने वाले अवैतनिक लाभांश का विवरण तैयार करना चाहिए और उसे कंपनी की वेबसाइट पर रखना चाहिए, यदि कोई हो और इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य वेबसाइट पर भी रखना चाहिए, ऐसे प्रपत्र, तरीके और अन्य ब्यौरों को जैसा कि विहित किया जा सकता है।

(3) यदि कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में कुल राशि या उसके किसी हिस्से को स्थानांतरित करने में कोई व्यतिक्रम होता है, तो उसे इस तरह की व्यतिक्रम की तारीख से, इतनी राशि पर ब्याज जो उक्त खाते में स्थानांतरित नहीं की गई है, 12% प्रति वर्ष की दर से और इस तरह की राशि पर प्रोद्भूत ब्याज कंपनी के सदस्यों के लाभ के लिए उन्हें बकाया राशि के अनुपात में सुनिश्चित करना चाहिए।

(4) कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरित किसी भी धन का हकदार होने का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति दावा किए गए धन के भुगतान के लिए कंपनी को आवेदन कर सकता है।

(5) इस अनुभाग के अनुसरण में किसी कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरित कोई भी धन जो इस तरह के स्थानांतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अवैतनिक या अदावाकृत रहता है, कंपनी द्वारा भविष्य में निधि के लिए "निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष" ने स्थापित-अनुभाग 125 के तहत प्रोद्भूत ब्याज के साथ उसे स्थानांतरित किया जाना चाहिए, यदि कोई हो, और कंपनी को इस तरह के स्थानांतरण के ब्यौरों को निर्धारित फार्म में एक विवरण उस प्राधिकारी को भेजना चाहिए जो उक्त निधि का प्रशासन करता है और उस प्राधिकारी को ऐसे स्थानांतरण के साक्ष्य के रूप में कंपनी को एक आवती जारी करनी चाहिए।

(6) सभी शेयर जिनके संबंध में अवैतनिक या अदावाकृत लाभांश को "निवेशक शिक्षा और संरक्षण

© The Institute of Chartered Accountants of India

कोष" में स्थानांतरित किया गया है, कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के नाम पर इस तरह के ब्यौरों के साथ एक विवरण भी स्थानांनतरित किया जाना चाहिए जैसा कि विहित किया जा सकता है:

बशर्ते कि उपरोक्त स्थानांतारित शेयरों का कोई दावेदार निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष से शेयरों के स्थानांनतरण का दावा करने के लिए ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे दस्तावेजों का निवेदन करने का हकदार होना चाहिए जैसा कि विहित किया जा सकता है।

(7) यदि कोई कंपनी इस अनुभाग की किसी भी आवश्यकता का अनुपालन करने में विफल रहती है, तो कंपनी को जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो पच्चीस लाख रुपये तक हो सकता है और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रम में है वे जुर्माने से दण्डनीय होंगे जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा लेकिन जिसे पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

उदाहरण 4

31 मार्च, 20X2 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान मुनाफों की अपर्याप्तता के कारण, एक्सवाईजेड लिमिटेड सामान्य संचित निधि में से 10% लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करती है। निम्नलिखित ब्यौरों से, उस राशि को अभिनिश्चित करें, जिसका उपयोग कंपनी (संचित निधि से लाभांश की घोषणा) नियम, 2014 के अनुसार, सामान्य संचित निधि से किया जा सकता है:

	₹
17,500 ₹ 100 प्रति के 9% अधिमानी शेयर, पूर्ण रूप से संदत्त	*17,50,000*
₹ 10 प्रति के 8,00,000 सामान्य शेयर, पूर्ण रूप से संदत्त	*80,00,000*
1.4.20X1 तक सामान्य संचित निधि	*25,00,000*
1.4.20X1 तक पूँजीगत निधि	*3,00,000*
1.4.20X1 तक संचित निधि का पुनर्मूल्यांकन	*3,50,000*
31 मार्च, 20X2 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए शुद्ध लाभ	*3,00,000*
पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभांश की औसत दर 12% रही है।	

समाधान

वह राशि जो 10% लाभांश के लिए संचित निधि से आहृत की जा सकती है		
₹ 80,00,000 पर 10% लाभांश		₹ 8,00,000
उपलब्ध लाभ		
चालू वर्ष का लाभ	3,00,000	

© The Institute of Chartered Accountants of India

माइनस: अधिमान लाभांश राशि जिसक उपयोग संचित निधि से किया जा सकता है	(1,57,500)	(1,42,500) 6,57,500

कंपनी (संचित निधि में से लाभांश की घोषणा) नियम 20X1 के अनुसार शर्तें:

शर्त I

चूंकि 10% (12%) लाभांश की औसत दर से कम है, इसलिए 10% लाभांश घोषित किया जा सकता है।

शर्त II

अधिकतम राशि जिसे संचित लाभ और संचित निधि से आहृत किया जा सकता है वह संदत्त पूँजी के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए प्लस निःशुल्क निधि यानी ₹ 12,25,000 [(80,00,000+17,50,000+25,00,000) का 10%]

शर्त III

₹ 18,42,500 (₹ 25,00,000 - ₹ 6,57,500) आहरण के बाद संचित निधि का अतिशेष इसकी संदत्त पूँजी के 15% से कम नहीं होनी चाहिए यानी ₹ 14,62,500 (₹ 97,50,000 का 15%)

चूंकि तीनों शर्तें पूरी होती हैं, इसलिए कंपनी संचित निधि से ₹ 6,57,500 प्रत्याहृत कर सकती है (लाभांश की घोषणा और भुगतान नियम, 2014 के अनुसार।)

उदाहरण 5

31.3.20X2 तक ओमेगा लिमिटेड का कच्चा बही निम्नलिखित है:

(आँकड़े ₹ '000 में)

	नामे		*जमा*
भूमि पर लागत	*220*	*सामान्य पूँजी (₹ 10 प्रति के शेयर्स)*	*300*
संयंत्र और मशीनरी पर लागत	*770*	*10% डिबेंचर्स*	*200*
प्राप्य व्यापार	*96*	*सामान्य निधि*	*130*
इन्वेंटरीज़ (31.3.X2)	*86*	*लाभ और हानि खाता*	*72*
बैंक	*20*	*प्रतिभूतियाँ प्रीमियम*	*40*
समायोजित खरीद	*320*	*विक्रय*	*700*
कारखाने के व्यय	*60*	*व्यापार देय*	*52*
प्रशासकीय खर्च	*30*	*मूल्यह्रास के लिए प्रावधान*	*172*
विक्रय व्यय	*30*	*उचंत खाता*	*4*
डिबेंचर का ब्याज	*20*		

© The Institute of Chartered Accountants of India

सन्दत्त अन्तरिम लाभांश	*18*		
	1670		*1670*

अतिरिक्त जानकारी:

(i) कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 10 प्रत्येक के 40,000 शेयर हैं।

(ii) कंपनी स्वतंत्र मूल्यांकक की सलाह पर भूमि का पुनर्मूल्यांकन ₹ 3,60,000 करना चाहती है।

(iii) 2 अप्रैल, 20X2 को 10% की दर से घोषित अंतिम लाभांश

(iv) ₹ 4,000 का उचंत खाता 1.4.20X1 को कुछ मशीनरी की बिक्री के लिए प्राप्त नकद को दर्शाता है। मशीनरी की लागत ₹ 10,000 थी और उस पर संचित मूल्यह्रास ₹ 8,000 था।

(v) संयंत्र और मशीनरी की लागत का 10% का मूल्यह्रास उपबंध किया जाना है।

आपको 31.3.20X2 तक ओमेगा लिमिटेड का तुलन पत्र और अनुसूची III के अनुसार 31.3.20X2 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए खातों के लिए नोट्स के साथ लाभ और हानि का विवरण तैयार करने की आवश्यकता है। पूर्व वर्ष के आंकड़े और कराधान की अवज्ञा करें।

समाधान

ओमेगा लिमिटेड
31 मार्च, 20X2 तक तुलन पत्र

ब्यौरा	*टिप्पणी संख्या*	*(₹ 000 में)*
इक्विटी और दायित्व		
1. शेयरधारक की निधि		
a शेयर पूँजी	1	300
b संचित निधि और अधिशेष	2	530
2. गैर-चालू दायित्व		
a दीर्घकालिक ऋण	3	200
3. चालू दायित्व		
a व्यापार देय		52
कुल		1082
आस्तियाँ		
1. गैर-चालू आस्तियां		

© The Institute of Chartered Accountants of India

	A	पीपीई (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण)	4	880
2.	**चालू आस्तियाँ**			
	A	सूचियां (इन्वेंट्री)		86
	B	प्राप्य व्यापार		96
	C	नकद और बैंक शेष		20
		कुल		**1082**

ओमेगा लिमिटेड

31 मार्च, 20X2 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

	ब्यौरा	***टिप्पणियां***	*(₹ 000 में)*
I.	परिचालन से राजस्व		700
II.	अन्य आय	5	2
III	**कुल आय**		**702**
IV	व्यय:		
	खरीद		320
	वित्त की लागत	6	20
	मूल्यह्रास (760 का 10% *)		76
	अन्य व्यय	7	120
	कुल व्यय		**536**
V.	**अवधि के लिए लाभ (हानि)** (III – IV)		**166**

लेखा के लिए टिप्पणियां

			(₹ 000 में)
1.	**शेयर पूँजी**		
	जारी की गई, अभिदाय की गई और		
	प्राधिकृत		
	₹ 10 प्रत्येक के 40,000 शेयर		400
	जारी किये गए औरअभिदाय और		
	₹ 10 प्रति के 30,000 शेयर		300

* 770 (लागत पर संयंत्र और मशीनरी) - 10 (संयंत्र और बेची गई मशीनरी की लागत)

© The Institute of Chartered Accountants of India

2.	**संचित निधि और अधिशेष**			
	प्रतिभूति प्रीमियम लेखा			40
	पुनर्मूल्यांकन संचित निधि (360 – 220)			140
	सामान्य निधि			130
	लाभ और हानि शेष			
	प्रारंभिक शेष	72		
	अवधि के लिए लाभ	166	238	
	माइनस: विनियोजन			
	अन्तरिम लाभांश		(18)	220
				530
3.	**दीर्घकालिक ऋण**			
	10% डिबेंचर्स			**200**
4.	PPE			
	भूमि			
	प्रारंभिक शेष		220	
	जोड़ें: पुनर्मूल्यांकन समायोजन		140	
	अंतिम शेष			360
	संयंत्र और उपकरण			
	प्रारंभिक शेष		770	
	माइनस:: निपटान		(10)	
			760	
	माइनस:: मूल्यह्रास (172-8+76)		(240)	
	अंतिम शेष			520
		कुल		880
5.	**अन्य आय**			
	मशीनरी की बिक्री पर लाभ:			
	मशीनरी का बिक्री मूल्य		4	

© The Institute of Chartered Accountants of India

	माइनस:: मशीनरी का बही मूल्य (10-8)	(2)	2
6.	**वित्त की लागत**		
	डिबेंचर का ब्याज		20
7.	**अन्य व्यय:**		
	कारखाने के व्यय	60	
	विक्रय व्यय	30	
	प्रशासकीय खर्च	30	120

नोट: अंतिम लाभांश को लेखांकन मानकों के अनुसार तुलन पत्र की तिथि (भले ही इसे रिपोर्टिंग की तिथि के बाद लेकिन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पहले घोषित किया गया हो) पर देयता के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। इसलिए, इसे 31 मार्च, 20X2 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे लाभांश को केवल नोट्स में प्रकटित किया जाएगा।

उदाहरण 6

आपको 31 मार्च, 20X1 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हरिया केमिकल्स लिमिटेड का निम्नलिखित कच्चा बही से तुलन पत्र और लाभ और हानि का विवरण तैयार करने की आवश्यकता है।

हरिया केमिकल्स लिमिटेड
31 मार्च, 20X1 तक कच्चा बही

ब्यौरा	₹	*ब्यौरा*	₹
सूचियां (इन्वेंट्रीज)	*6,80,000*	*सामान्य शेयर*	
फर्नीचर	*2,00,000*	*पूँजी (₹ 10 प्रत्येक के शेयर्स)*	*25,00,000*
बट्टा	*40,000*	*11% डिबेंचर्स*	*5,00,000*
निदेशकों को ऋण	*80,000*	*बैंक से ऋण*	*6,45,000*
विज्ञापन	*20,000*	*व्यापार देय*	*2,81,000*
डूबंत ऋण	*35,000*	*विक्रय*	*42,68,000*
कमीशन	*1,20,000*	*प्राप्त किराया*	*46,000*
उपभोग की गई सामग्री	*23,19,000*	*स्थानांतरण फीस*	*10,000*
संयंत्र और उपकरण	*8,60,000*	*लाभ और हानि लेखा*	*1,39,000*
किराया	*25,000*	*मूल्यह्रास प्रावधान:*	
चालू खाता	*45,000*	*संयंत्र*	*1,46,000*

© The Institute of Chartered Accountants of India

नकद	8,000		
बैंक ऋण पर ब्याज	1,16,000		
प्रारंभिक व्यय	10,000		
फिक्स्चर	3,00,000		
मजदूरी	9,00,000		
उपभोग्य	84,000		
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	15,46,000		
टूल्स और उपकरण	2,45,000		
सुनाम/ख्याति	2,65,000		
प्राप्य व्यापार	4,40,000		
डीलर सहायता	21,000		
परिवहन-बीमा	30,000		
व्यापार व्यय	37,000		
वितरण मालभाड़ा	54,000		
डिबेंचर का ब्याज	55,000		
	85,35,000		85,35,000

अतिरिक्त जानकारी: 31-3-20X1 तक अंतिम इंवेंटरी: ₹ 8,23,000.

© The Institute of Chartered Accountants of India

समाधान

हरिया केमिकल्स लिमिटेड
31 मार्च, 20X1 के अनुसार तुलन पत्र

		अनुसूची सं. (1)	*31 मार्च 20X1 की समाप्ति तक रुपये (2)*
इक्विटी और दायित्व			
(1)	**शेयरधारक की निधि:**		
	(a) शेयर पूँजी	1	25,00,000
	(b) संचित निधि और अधिशेष	2	7,40,000
(2)	**गैर-चालू दायित्व**		
	(a) दीर्घकालिक ऋण	3	11,45,000
(3)	**चालू दायित्व**		
	(a) व्यापार देय		2,81,000
	कुल		**46,66,000**
आस्तियाँ			
(1)	**गैर-चालू आस्तियां**		
	(a) PPE	4	30,05,000
	(b) अमूर्त आस्तियां (सुनाम/ख्याति)		2,65,000
(2)	**चालू आस्तियाँ**		
	(a) सूचियां (इन्वेंट्री)		8,23,000
	(b) प्राप्य व्यापार		4,40,000
	(c) नकद और बैंक शेष	5	53,000
	(d) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	6	80,000
	कुल		**46,66,000**

© The Institute of Chartered Accountants of India

हरिया केमिकल्स लिमिटेड

31 मार्च, 20X1 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

		अनुसूची	आँकड़े	
परिचालन से राजस्व			42,68,000	
अन्य आय		7	56,000	
	(A)		43,24,000	
व्यय				
उपभोग की गई सामग्री की लागत			23,19,000	
तैयार माल की इंवेंटरी में परिवर्तन		8	(1,43,000)	
कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय		9	9,00,000	
वित्त की लागत		10	1,71,000	
अन्य व्यय		11	4,76,000	
	(B)		37,23,000	
कर देने से पूर्व लाभ (A – B)				6,01,000
कर के लिए प्रावधान				—
अवधि के लिए लाभ				6,01,000

लेखा के लिए टिप्पणियां

		₹
1.	**शेयर पूँजी**	
	प्राधिकृत:	
	₹ 10 प्रति साधारण शेयर पूँजी	25,00,000
	जारी किया गया और अभिदाय:	
	₹ 10 प्रति साधारण शेयर पूँजी	25,00,000
2.	**संचित निधि और अधिशेष**	
	आखिरी तुलन पत्र के अनुसार अतिशेष	1,39,000
	लाभ और हानि लेखा में शेष	6,01,000
		7,40,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

3. दीर्घकालिक ऋण

11% डिबेंचर्स	5,00,000
बैंक ऋण (दीर्घकालिक माना गया है)	6,45,000
	11,45,000

4. PPE

	सकल ब्लॉक	*मूल्यह्रास*	*शुद्ध ब्लॉक*
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	15,46,000		15,46,000
फर्नीचर	2,00,000		2,00,000
फिक्स्चर	3,00,000		3,00,000
संयंत्र और मशीनरी	8,60,000	1,46,000	7,14,000
टूल्स और उपकरण	2,45,000		2,45,000
कुल	31,51,000	1,46,000	30,05,000

5. नकद और बैंक शेष

नकद और नकदी के समकक्ष	
चालू खाता शेष	45,000
नकद	8,000
अन्य बैंक शेष	शून्य
	53,000

6. अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

निदेशकों को ऋण	80,000

7. अन्य आय

प्राप्त किराया	46,000
स्थानांतरण फीस	10,000
	56,000

8. तैयार माल, WIP और विक्रय योग्य भंडार की इंवेंटरी में परिवर्तन

प्रारंभिक इन्वेंटरी	6,80,000	
अंतिम इन्वेंटरी	(8,23,000)	(1,43,000)

© The Institute of Chartered Accountants of India

9.	**कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय**	
	मजदूरी	9,00,000
10.	**वित्त की लागत**	
	बैंक ऋण पर ब्याज	1,16,000
	डिबेंचर का ब्याज	55,000
		1,71,000
11.	**अन्य व्यय**	
	उपभोग्य	84,000
	प्रारंभिक व्यय	10,000
	डूबंत ऋण	35,000
	बट्टा	40,000
	किराया	25,000
	कमीशन	1,20,000
	विज्ञापन	20,000
	डीलर सहायता	21,000
	परिवहन-बीमा	30,000
	व्यापार व्यय	37,000
	वितरण मालभाड़ा	54,000
		4,76,000

उदाहरण 7

आपको 31 मार्च, 20X2 तक इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड की बहियों से निष्कर्षित निम्नलिखित कच्चा बही से लाभ और हानि और तुलन पत्र का विवरण तैयार करने की आवश्यकता है:

	नामे ₹	जमा ₹
प्राधिकृत पूंजी - 5,000 6% अधिमानी शेयर में विभाजित किया गया		
और ₹ 100 प्रति के 10,000 सामान्य शेयर में विभाजित		*15,00,000*
अभिदत्त पूँजी -		
₹ 100 प्रति के 5,000 का 6% अधिमानी शेयर		*5,00,000*
सामान्य पूंजी		*8,05,000*
खरीद - वाइन, सिगरेट, सिगार, आदि।	*45,800*	

© The Institute of Chartered Accountants of India

- खाद्य पदार्थ	36,200	
मजदूरी और वेतन	28,300	
किराया, दरें और कर	8,900	
लॉन्ड्री	750	
विक्रय - वाइन, सिगरेट, सिगार, आदि।		68,400
- भोजन		57,600
कोयला और जलाऊ लकड़ी	3,290	
गाड़ी भाड़ा और कुलिज	810	
अन्यान्य व्यय	5,840	
विज्ञापन	8,360	
मरम्मत	4,250	
कमरों का किराया		48,000
बिलियर्ड		5,700
विविध प्राप्तियाँ		2,800
प्राप्त बट्टा		3,300
स्थानांतरण फीस		700
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और भवन	8,50,000	
उपस्कर एवम् साजो-सामान	86,300	
1 अप्रैल, 20X1 को शेष इंवेंटरी		
वाइन, सिगरेट सिगार, आदि।	12,800	
खाद्य पदार्थ	5,260	
नकद रोकड़	2,200	
बैंककार के पास नकद	76,380	
प्रारंभिक और निगमन व्यय	8,000	
₹ 100 प्रति के 2,000 डिबेंचर (6%)		2,00,000
लाभ और हानि लेखा		41,500
व्यापार देय		42,000
प्राप्य व्यापार	19,260	

© The Institute of Chartered Accountants of India

निवेश		*2,72,300*	
भूमि पर सदिच्छा		*5,00,000*	
सामान्य निधि			*2,00,000*
		19,75,000	*19,75,000*
बकाया मजदूरी और वेतन	*1,280*		
31 मार्च, 20X2 को इंवेंटरी			
वाइन, सिगरेट और सिगार आदि।	*22,500*		
खाद्य पदार्थ	*16,400*		

मूल्यह्रास : 5% प्रति वर्ष की दर से उपस्कर एवम् साजो-सामान: 2% प्रति वर्ष की दर से भूमि और भवन।

1 अप्रैल, 20X1 को सामान्य पूंजी ₹ 7,20,000 थी , यानी 6,000 शेयर का पूर्ण भुगतान किया गया और 2,000 शेयर ₹ 60 का भुगतान किया गया। 1 अक्टूबर 20X1 को निदेशकों ने ₹ 40 प्रति शेयर की कॉल की। एक शेयरधारक 100 शेयर की कॉल पर भुगतान नहीं कर सका और फिर उसके शेयर को जब्त कर लिया गया और पूर्ण भुगतान के रूप में ₹ 90 प्रति शेयर की दर पर फिर से जारी किए गए। निदेशकों ने 2 अप्रैल, 20X2 को इक्विटी शेयर पर 8% का लाभांश घोषित किया, किसी भी राशि को स्थानांतरण करना जो सामान्य संचित निधि से आवश्यक हो सकता है। कराधान की अवज्ञा करें।

समाधान

31 मार्च, 20X2 तक इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड का तुलन पत्र

ब्यौरा	*टिप्पणी संख्या*	₹
इक्विटी और दायित्व		
1 शेयरधारक की निधि		
a शेयर पूँजी	1	13,00,000
b संचित निधि और अधिशेष	2	2,68,745
2 गैर-चालू दायित्व		
a दीर्घकालिक ऋण	3	2,00,000
3 चालू दायित्व		
a व्यापार देय	4	42,000
b अन्य चालू दायित्व	5	13,280
कुल		**18,24,025**

© The Institute of Chartered Accountants of India

आस्तियाँ		
1 गैर-चालू आस्तियां		
i PPE	6	9,14,985
ii अमूर्त आस्त्यिां (सुनाम/ख्याति)		5,00,000
iii गैर-चालू निवेश		2,72,300
2 चालू आस्तियाँ		
i सूचियां (इन्वेंट्री)	7	38,900
ii प्राप्य व्यापार		19,260
iii नकद और बैंक शेष	8	78,580
कुल		**18,24,025**

31 मार्च, 20X2 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड के लाभ और हानि का विवरण

	ब्यौरा	*टिप्पणियां*	*राशि*
I.	परिचालन से राजस्व	**9**	1,79,700
II.	अन्य आय	10	6,800
III.	**कुल आय (I + II)**		**1,86,500**
IV.	**व्यय:**		
	उपभोग की गई सामग्री की लागत	**11**	25,060
	व्यापार इंवेंटरी की खरीद	**12**	45,800
	तैयार माल की इंवेंटरी में परिवर्तन अर्धनिर्मित उत्पादन और व्यापार-में-इंवेंटरी	**13**	(9,700)
	कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	**14**	29,580
	अन्य प्रचालन व्यय	**15**	18,000
	विक्रय और प्रशासकीय व्यय	**16**	14,200
	वित्त की लागत	**17**	12,000
	मूल्यह्रास और क्रमिक अपाकरण व्यय	**18**	21,315
	अन्य व्यय (प्रारंभिक व्ययों को बट्टे खाते में डालना)		8,000
	कुल व्यय		**1,64,255**
V.	**अवधि के लिए लाभ (हानि) (III - IV)**		**22,245**

© The Institute of Chartered Accountants of India

लेखा के लिए टिप्पणियां

				₹
1	**शेयर पूँजी**			
	जारी की गई, अभिदाय की गई और			
	प्राधिकृत			
	₹ 100 प्रति के 10,000 इक्विटी शेयर			10,00,000
	जारी किए गए और अभिदाय किए गए			
	₹ 100 प्रति के 8,000 इक्विटी शेयर (A)			8,00,000
	अधिमानी शेयर पूँजी			
	प्राधिकृत			
	₹ 100 प्रति के 5,000 का 6% अधिमानी शेयर			5,00,000
	जारी किए गए और अभिदाय किए गए			
	₹ 100 प्रति के 5,000 का 6% अधिमानी शेयर		(B)	5,00,000
		योग (A + B)		**13,00,000**
2	**संचित निधि और अधिशेष**			
	पूँजीगत निधि [100 x (90 – 40)]			5,000
	सामान्य निधि		2,00,000	
				2,00,000
	अधिशेष (लाभ और हानि खाता)		22,245	
	जोड़ें: पूर्व वर्ष की अतिशेष राशि		41,500	
				63,745
		कुल		**2,68,745**
3	**दीर्घकालिक ऋण**			
	सुरक्षित			
	6% डिबेंचर			2,00,000
		कुल		**2,00,000**
4	**व्यापार देय**			42,000
5	**अन्य चालू दायित्व**			
	बकाया मजदूरी और वेतन		1,280	
	प्रोद्भूत डिबेंचर्स पर		**12,000**	13,280
	कुल			**13,280**

© The Institute of Chartered Accountants of India

6	PPE			
	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और भवन		8,50,000	
	*माइनस:*मूल्यह्रास		(17,000)	8,33,000
	उपस्कर एवम् साजो-सामान		86,300	
	*माइनस:*मूल्यह्रास		(4,315)	81,985
		कुल		**9,14,985**
7	**सूचियां (इन्वेंट्री)**			
	वाइन, सिगरेट और सिगार आदि।			22,500
	खाद्य पदार्थ			16,400
		कुल		**38,900**
8	**नकद और बैंक शेष**			
	नकद और नकदी के समकक्ष			
	बैंक में नकद			76,380
	नकद रोकड़			2,200
	अन्य बैंक शेष			शून्य
		कुल		**78,580**
9	**परिचालन से राजस्व**			
	उत्पादों का विक्रय			
	वाइन, सिगरेट और सिगार आदि।		68,400	
	भोजन		57,600	**1,26,000**
	सेवाओं का विक्रय			
	कमरे का किराया		48,000	
	बिलियर्ड		5,700	53,700
		कुल		**1,79,700**
10	**अन्य आय**			
	स्थानांतरण फीस		700	
	विविध प्राप्तियाँ		2,800	
	प्राप्त बट्टा		3,300	
		कुल		**6,800**
11	**उपभोग की गई सामग्री की लागत**			
	प्रारंभिक इन्वेंटरी		5,260	

© The Institute of Chartered Accountants of India

	जोड़ें: वर्ष के दौरान खरीद	36,200	
	माइनस : अंतिम इंवेंटरी	(16,400)	25,060
	कुल		25,060
12	**व्यापार इंवेंटरी की खरीद**		
	वाइन, सिगरेट आदि।		45,800
	कुल		45,800
13	**तैयार माल की इंवेंटरी में परिवर्तन अर्धनिर्मित उत्पादन और व्यापार-में-इंवेंटरी**		
	वाइन, सिगरेट आदि।		
	प्रारंभिक इन्वेंटरी	12,800	
	माइनस : अंतिम इंवेंटरी	(22,500)	(9,700)
	कुल		(9,700)
14	**कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय**		
	मजदूरी और वेतन	28,300	
	जोड़ें : बकाया मजदूरी और वेतन	1,280	29,580
	कुल		29,580
15	**अन्य प्रचालन व्यय**		
	किराया, दरें और कर		8,900
	कोयला और जलाऊ लकड़ी		3,290
	लॉन्ड्री		750
	गाड़ी भाड़ा और कूलिज		810
	मरम्मत		4,250
	कुल		18,000
16	**विक्रय और प्रशासकीय व्यय**		
	विज्ञापन		8,360
	अन्यान्य व्यय		5,840
	कुल		14,200
17	**वित्त की लागत**		
	डिबेंचरों पर ब्याज (2,00,000 x 6%)		12,000
	कुल		12,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

18	**मूल्यह्रास और क्रमिक अपाकरण व्यय**		
	भूमि और भवन (8,50,000 x 2%)	17,000	
	उपस्कर एवं साजो-सामान (86,300 x 5%)	4,315	**21,315**
	कुल		**21,315**

नोट: अंतिम लाभांश को लेखांकन मानकों के अनुसार तुलन पत्र की तिथि (भले ही इसे रिपोर्टिंग की तिथि के बाद लेकिन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पहले घोषित किया गया हो) पर देयता के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। इसलिए, इसे 31 मार्च, 20X2 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे लाभांश को केवल नोट्स में प्रकटित किया जाएगा।

उदाहरण 8

पायनियर लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित ब्यौरों से, कंपनी अधिनियम की अनुसूची III की आवश्यकता के अनुसार 31 मार्च, 20X1 तक तुलन पत्र तैयार करें। तुलन पत्र के आधार पर टिप्पणी दें जैसी भी आवश्यक हो -

		नामे ₹	*जमा* ₹
इक्विटी शेयर (₹ 100 प्रति का अंकित मूल्य)			*10,00,000*
शेयर मांग की बकाया राशि		*1,000*	
भूमि		*2,00,000*	
भवन		*3,50,000*	
संयंत्र और उपकरण		*5,25,000*	
फर्नीचर		*50,000*	
सामान्य निधि			*2,10,000*
राज्य वित्तीय निगम से ऋण			*1,50,000*
सूचियां (इन्वेंटरी):			
तैयार माल:	*2,00,000*		
कच्चा माल	*50,000*	*2,50,000*	
कराधान के लिए प्रावधान			*68,000*
प्राप्य व्यापार		*2,00,000*	
अग्रिम भुगतान		*42,700*	
देय लाभांश			*60,000*

© The Institute of Chartered Accountants of India

लाभ और हानि लेखा		*86,700*
नकद अतिशेष	*30,000*	
बैंक में नकद	*2,47,000*	
ऋण (असुरक्षित)		*1,21,000*
देय व्यापार (माल और व्यय के लिए)		*2,00,000*
	18,95,700	*18,95,700*

निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान की जाती है:

(1) 2,000 इक्विटी शेयर नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए गए थे।

(2) ₹ 52,000 की प्राप्य व्यापार राशि छह महीने से अधिक के लिए देय है।

(3) आस्तियों की लागत:

भवन	*₹ 4,00,000*
संयंत्र और उपकरण	*₹ 7,00,000*
फर्नीचर	*₹ 62,500*

(4) राज्य वित्त निगम के ऋण खाते में ₹ 1,50,000 की शेष राशि पर प्रोद्भूत ब्याज ₹ 7,500 शामिल है लेकिन देय नहीं है। ऋण संयंत्र और मशीनरी के दृष्टि बंधक द्वारा सुरक्षित है।

(5) परफेक्ट बैंक लिमिटेड में बैंक अतिशेष ₹ 2,000 सम्मिलित हैं, जो अनुसूचित बैंक नहीं है।

(6) कंपनी के पास मशीनरी के निर्माण के लिए ₹ 1,50,000 की संविदा था जो अभी भी अधूरी है।

समाधान

पायनियर लिमिटेड
31 मार्च, 20X1 के अनुसार तुलन पत्र

		ब्यौरा	*टिप्पणियां*	₹
		इक्विटी और दायित्व		
1		**शेयरधारक की निधि**		
	a	शेयर पूँजी	1	9,99,000
	b	संचित निधि और अधिशेष	2	2,96,700
2		**गैर-चालू दायित्व**		
	a	दीर्घकालिक ऋण	3	2,63,500
3		**चालू दायित्व**		

© The Institute of Chartered Accountants of India

	a	व्यापार देय		2,00,000
	b	अन्य चालू दायित्व	4	67,500
	c	अल्पकालिक प्रावधान	5	68,000
		कुल		**18,94,700**
		आस्तियाँ		
1		**गैर-चालू आस्तियां**		
	a	PPE	6	11,25,000
2		**चालू आस्तियाँ**		
	a	सूचियां (इन्वेंट्री)	7	2,50,000
	b	प्राप्य व्यापार	8	2,00,000
	c	नकद और बैंक शेष	9	2,77,000
	d	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम		42,700
		कुल		**18,94,700**

लेखा के लिए टिप्पणियां

		₹
1 शेयर पूँजी		
जारी की गई, अभिदाय की गई और		
जारी किये गए औरअभिदाय और		
₹ 100 प्रति के 10,000 इक्विटी शेयर (उपरोक्त 2,000 शेयर में से नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए गए हैं)	10,00,000	
माइनस: शेयर मांग की बकाया राशि	(1,000)	9,99,000
कुल		**9,99,000**
2 संचित निधि और अधिशेष		
सामान्य निधि		2,10,000
अधिशेष (लाभ और हानि खाता)		86,700
कुल		**2,96,700**
3 दीर्घकालिक ऋण		
सुरक्षित		
आवधिक ऋण		
राज्य वित्तीय निगम से ऋण (1,50,000 – 7,500)		1,42,500

© The Institute of Chartered Accountants of India

	(संयंत्र और मशीनरी के दृष्टि बंधक द्वारा सुरक्षित)		
	असुरक्षित ऋण		1,21,000
	कुल		**2,63,500**
4	**अन्य चालू दायित्व**		
	ब्याज प्रोद्भूत हुआ लेकिन ऋण पर देय नहीं (एसएफसी)		7,500
	देय लाभांश		60,000
	कुल		**67,500**
5	**अल्पकालिक प्रावधान**		
	कराधान के लिए प्रावधान		68,000
	कुल		**68,000**
6	**PPE**		
	भूमि		2,00,000
	भवन	4,00,000	
	*माइनस:*मूल्यह्रास	(50,000) (b.f.)	3,50,000
	संयंत्र और मशीनरी	7,00,000	
	*माइनस:*मूल्यह्रास	(1,75,000) (b.f.)	5,25,000
	उपस्कर एवं साजो-सामान	62,500	
	*माइनस:*मूल्यह्रास	(12,500) (b.f.)	50,000
	कुल		**11,25,000**
7	**सूचियां (इन्वेंट्री)**		
	कच्चा माल		50,000
	तैयार माल:		2,00,000
	कुल		**2,50,000**
8	**प्राप्य व्यापार**		
	छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण		52,000
	अन्य ऋण		1,48,000
	कुल		**2,00,000**
9	**नकद और बैंक शेष**		
	नकद और नकदी के समकक्ष		

© The Institute of Chartered Accountants of India

बैंक में नकद		
अनुसूचित बैंक में	2,45,000	
अन्य (पर्फेक्ट बैंक लिमिटेड) में	2,000	2,47,000
नकद रोकड़		30,000
अन्य बैंक शेष		शून्य
कुल		**2,77,000**

नोट: पूंजी खाते पर निष्पादित होने के लिए शेष संविदा की अनुमानित राशि और ₹ 1,50,000 के लिए प्रदान नहीं की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी ने यह संविदा मशीनरी खरीदने के लिए दिया था।

सारांश

- कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार विभिन्न प्रकार की कंपनियों की परिभाषाएं।
- लेखा बहियों को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखा जाना चाहिए।
- उचित बहियों को रखा गया नहीं मानद होता है यदि वे कंपनी के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान नहीं करती हैं।
- कंपनी अधिनियम के तहत कई वैधानिक बहियों को निर्धारित किया गया हैं जिन्हें सभी संव्यवहारों का रिकॉर्ड रखने के लिए सांख्यिकीय बहियों के साथ रखा जाएगा।
- वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करने के 60 दिनों के भीतर प्रत्येक कंपनी द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल की जाएगी।
- कंपनी का वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार होना चाहिए और उन्हें सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देना चाहिए।
- प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना लाभ पर प्रतिशत के रूप में की जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 (यानी अनुभाग 197 और अनुभाग 198) और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के विभिन्न वर्गों द्वारा शासित है।
- निम्नलिखित बातों को विभिन्न अनुभागों के तहत निपटाया गया है:
  - कुल मिलाकर अधिकतम देय प्रबंधकीय पारिश्रमिक
  - लाभ की अनुपस्थिति या अपर्याप्तता के मामले में प्रबंधकीय पारिश्रमिक
  - पूर्णकालिक निदेशकों और अंशकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक
  - कंपनी के शुद्ध लाभ को अभिनिश्चित करना
- वितरण के लिए उपलब्ध लाभ की राशि का निर्धारण एक महत्वपूर्ण कार्य है और कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि उनकी संरचना, प्रावधानों की मात्रा और विनियोग जो उनमें से

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्राथमिकता में किया जाना चाहिए, आदि।

- शेयरधारकों को लाभांश के रूप में पूंजी वापस नहीं की जा सकती है।
- निदेशक बोर्ड के निर्णय के परिणामस्वरूप या कानून के अनुसार मुनाफे के हिस्से को विनियोजित किया जा सकता है।
- लाभांश को कुछ शर्तों के अधीन संचित निधि में से घोषित किया जा सकता है। मुनाफे को छोड़कर लाभांश घोषित नहीं किया जा सकता है।

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

MCQs

1. अनुसूची III के अनुसार देय व्यापार में शामिल होंगे:
   (a) बाध्यता दायित्व के संबंध में बकाया देय राशि
   (b) देय व्यापार पर प्रोद्भूत ब्याज
   (c) प्राप्य बिल
2. प्रतिभूति प्रीमियम लेखा को तुलन पत्र में दायित्वों के पक्ष में शीर्षक के तहत दिखाया गया है:
   (a) संचित निधि और अधिशेष
   (b) चालू दायित्व
   (c) शेयर पूँजी
3. "विक्रय के लिए धारित स्थिर आस्तियों" को कंपनी के तुलन पत्र में इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा:
   (a) चालू आस्तियाँ
   (b) गैर-चालू आस्तियां
   (c) पूँजीगत अर्धनिर्मित उत्पादन
4. दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता के अंतर्गत आएगा
   (a) चालू दायित्व
   (b) अल्पकालिक उधार
   (c) दीर्घकालिक उधार
5. यदि कंपनी अधिनियम के अनुभाग 198 में दी गई समग्र सीमा से अधिक प्रबंधकीय पारिश्रमिक में वृद्धि होती है, तो किस प्राधिकारी की मंजूरी आवश्यक है?
   (a) कम्पनी के रजिस्ट्रार

© The Institute of Chartered Accountants of India

(b) केंद्रीय सरकार

(c) कम्पनी के निदेशक बोर्ड

6. चालू वर्ष के लिए लाभांशों की घोषणा निम्नलिखित के लिए प्रदान करने के बाद की जाती है

(a) केवल पिछले वर्षों के मूल्यह्रास के लिए

(b) चालू वर्ष के लिए आस्तियों पर मूल्यह्रास और पिछले वर्षों के मूल्यह्रास की बकाया राशि (यदि कोई हो) के लिए।

(c) केवल चालू वर्ष पर मूल्यह्रास और पिछले वर्षों के मूल्यह्रास के बकाया को छोड़कर।

7. लाभ कमाने वाली कंपनियों के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 198 के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए कुल अधिकतम सीमा है

(a) शुद्ध लाभ का 11%

(b) शुद्ध लाभ का 10%

(c) शुद्ध लाभ का 5%

8. प्रबंधकीय पारिश्रमिक के प्रयोजन के लिए, प्रभावी पूंजी की गणना के लिए उपयोग की गई सदंत्त शेयर पूंजी का अर्थ है

(a) शेयर के आवेदन के लिए धन और शेयर के विरूद्ध अग्रिम राशि को छोड़कर संदत्त शेयर पूंजी।

(b) शेयर के आवेदन के लिए धन को छोड़कर लेकिन शेयर के विरूद्ध अग्रिम राशि सहित संदत्त शेयर पूंजी।

(c) शेयर के आवेदन के लिए धन और शेयर के विरूद्ध अग्रिम राशि दोनों सहित संदत्त शेयर पूंजी।

9. अनुसूची III के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चालू दायित्व नहीं है?

(a) बैंक ओवरड्राफ्ट

(b) शुद्ध आस्थगित किया गया कर दायित्व

(c) घोषित लाभांश

10. अनुसूची III के अनुसार, आय या व्यय के मद के लिए अलग प्रकटीकरण आवश्यक है जो निम्न से अधिक होता है:

(a) संचालन से राजस्व का % या ₹ 1,00,000 जो भी कम हो

(b) राजस्व का 1% या ₹ 5,000

(c) संचालन से राजस्व का 1% या ₹ 1,00,000, जो भी उच्चतर हो।

© The Institute of Chartered Accountants of India

11. कुछ दोस्तों ने एक स्टार्ट-अप बनाया और उत्पाद के उत्पादन और विपणन के लिए निजी कंपनी निर्माण किया। वित्तीय वर्ष के अंत में, उनकी कंपनी को क्या तैयार करने की आवश्यकता नहीं है:

    (a) नकद प्रवाह विवरण-पत्र

    (b) तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखा

    (c) लेखा के लिए टिप्पणियां

12. "प्रभावी पूंजी" की गणना करते समय निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता है:

    (a) संदत्त शेयर पूँजी

    (b) एक वर्ष के बाद प्रतिदेय दीर्घावधि ऋण

    (c) संचित निधि का पुनर्मूल्यांकन

प्रैक्टिकल प्रश्न

प्रश्न 1

बताएं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार इन लेखाओं को किस शीर्ष के तहत तुलन पत्र में वर्गीकृत किया जाना चाहिए:

(i) जारी किए गए शेयर पूंजी से आधिक्य प्राप्त शेयर के आवेदन के लिए धन।

(ii) शेयर का विकल्प खाते में बकाया।

(iii) अवैतनिक परिपक्व डिबेंचर और उस पर प्रोद्भूत ब्याज।

(iv) शेयरों और अन्य आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों पर अनावश्यक दायित्व।

(v) अदत्त मांग

(vi) शेयर अधिपत्र के विरूद्ध प्राप्त धन।

प्रश्न 2

स्टार लिमिटेड (गैर-निवेश) कंपनी के तुलनपत्र का निम्नलिखित सार प्राप्त किया गया था:

दायित्व	₹
प्राधिकृत पूँजी	
60,000, ₹ 100 के 14% अधिमानी शेयर	60,00,000
₹ 100 प्रति के 6,00,000 सामान्य शेयर	6,00,00,000
	6,60,00,000
जारी की गई और अभिदाय पूँजी:	
45,000, पूरी तरह से भुगतान किये गए₹ 100 प्रति के 14% अधिमानी शेयर	45,00,000
₹ 100 प्रति के 3,60,000 इक्विटी शेयर, ₹ 80 सन्दत्त	2,88,00,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

शेयर उचंत खाता	60,00,000
संचित निधि और अधिशेष:	
पूँजी संचित निधि (संचित निधि का पुनर्मूल्यांकन ₹ 4,50,000 है)	5,85,000
प्रतिभूतियाँ प्रीमियम	1,50,000
सुरक्षित ऋण:	
15% डिबेंचर्स	1,95,00,000
असुरक्षित ऋण:	
सार्वजनिक जमा	11,10,000
SBI से नकद क्रेडिट ऋण (अल्पकालिक)	3,95,000
चालू दायित्व:	
व्यापार देय	10,35,000
आस्तियाँ:	
शेयरों, डिबेंचर आदि में निवेश।	2,25,00,000
लाभ और हानि लेखा (नामे शेष)	45,75,000

शेयर मुअत्तली खाता ऐसे शेयरों से प्राप्त आवेदन राशि को निरूपित करता है, जिसका आवंटन अभी तक नहीं किया गया है।

आपको अनुसूची V के प्रावधानों के अनुसार प्रभावी पूंजी की गणना करने की आवश्यकता है। क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि स्टार लिमिटेड एक निवेश कंपनी है?

प्रश्न 3

31 मार्च, 20X1 को बोस और सेन लिमिटेड आपको 31 मार्च, 20X1 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपनी लाभ और हानि लेखा तैयार करने के बाद निम्नलिखित खाता शेष प्रदान करते हैं:

जमा अतिशेष:

	₹
इक्विटी शेयर पूंजी, ₹ 10 प्रति की दर से पूरी तरह से संदत्त शेयर	70,00,000
सामान्य निधि	15,49,100
राज्य वित्तीय निगम से ऋण	10,50,000
(संयंत्र और मशीनरी के दृष्टि बंधक द्वारा एक	
वर्ष के भीतर प्रतिदेय ₹ 2,00,000 सुरक्षित)	

© The Institute of Chartered Accountants of India

ऋण : असुरक्षित (दीर्घावधि)	8,47,000
माल और व्ययों के लिए अन्यान्य ऋणदाता (6 महीने के भीतर देय)	14,00,000
लाभ और हानि लेखा	7,00,000
कराधान के लिए प्रावधान	8,16,900
	1,33,63,000

नामे शेष:

	₹
शेयर मांग की बकाया राशि	7,000
भूमि	14,00,000
भवन	20,50,000
संयंत्र और उपकरण	36,75,000
उपस्कर और फिक्स्चर	3,50,000
इंवेंटरी : तैयार माल	14,00,000
कच्चा माल	3,50,000
प्राप्य व्यापार	14,00,000
अग्रिम राशि : अल्पकालिक	2,98,900
नकद रोकड़	2,10,000
बैंक में अतिशेष	17,29,000
प्रारंभिक व्यय	93,100
पेटेंट और ट्रेडमार्क	4,00,000
	1,33,63,000

उपरोक्त शेष राशि के संबंध में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान की जाती है:

(i) 4,20,000 पूर्ण संदत्त शेयर भूमि और भवनों के लिए प्रतिफल के रूप में आवंटित किए गए थे।

(ii) भवन की लागत ₹ 28,00,000

(iii) संयंत्र और मशीनरी की लागत ₹ 49,00,000

उपस्कर और फिक्स्चर की लागत ₹ 4,37,500

(iv) ₹ 3,80,000 के लिए प्राप्य व्यापार राशि छह महीने से अधिक के लिए देय है।

(v) जिस बैंक में पड़ी ₹ 18,000 की अतिशेष राशि शामिल हैं वो अनुसूचित बैंक नहीं है और ₹ 5

© The Institute of Chartered Accountants of India

लाख की जमा राशि 9 महीने की अवधि के लिए है।

(vi) बैंक से ₹ 2,00,000 और संबंधित पक्षों से ₹ 1,00,000 असुरक्षित ऋण शामिल हैं।

(vii) प्रारंभिक व्यय की संपूर्ण राशि को सामान्य संचित निधि के प्रारंभिक अतिशेष से समायोजित करके बट्टे खाते में डाला गया।

आपको पूर्व वर्ष के आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है। आपको कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत 31 मार्च, 20X1 तक कंपनी का तुलन पत्र तैयार करने की आवश्यकता है।

प्रश्न 4

अल्फा लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित ब्यौरों से, कंपनी अधिनियम के भाग I, अनुसूची III की आवश्यकता के अनुसार 31 मार्च, 20X1 तक तुलन पत्र तैयार करें।

ब्यौरा		नामे ₹	जमा ₹
साधारण शेयर पूँजी (₹ 100 प्रति का अंकित मूल्य)			50,00,000
शेयर मांग की बकाया राशि		5,000	
भूमि और भवन		27,50,000	
संयंत्र और मशीनरी		26,25,000	
फर्नीचर		2,50,000	
सामान्य निधि			10,50,000
राज्य वित्तीय निगम से ऋण			7,50,000
इंवेंटरी:			
कच्चा माल	2,50,000		
तैयार माल:	10,00,000	12,50,000	
कराधान के लिए प्रावधान			6,40,000
प्राप्य व्यापार		10,00,000	
अल्पकालिक के लिए अग्रिम राशि		2,13,500	
लाभ और हानि लेखा			4,33,500
नकद रोकड़		1,50,000	
बैंक में नकद		12,35,000	
असुरक्षित ऋण			6,05,000
देय व्यापार (माल और व्यय के लिए)			8,00,000
संबंधित पक्षों से ऋण और अग्रिम राशि			2,00,000
		94,78,500	94,78,500

निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान की जाती है:

(i) 1,000 इक्विटी शेयर नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए गए थे।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) ₹ 2,60,000 की प्राप्य व्यापार राशि छह महीने से अधिक के लिए देय है।

(iii) आस्तियों की लागत थी:

भवन ₹ 30,00,000, संयंत्र और मशीनरी ₹ 35,00,000 और फर्नीचर ₹ 3,12,500

(iv) राज्य वित्त निगम के ऋण खाते में ₹ 7,50,000 की शेष राशि पर प्रोद्भूत ब्याज ₹ 37,500 शामिल है लेकिन देय नहीं है। ऋण संयंत्र और मशीनरी के दृष्टि बंधक द्वारा सुरक्षित है।

(v) ओमेगा बैंक लिमिटेड में बैंक अतिशेष ₹ 10,000 सम्मिलित हैं, जो अनुसूचित बैंक नहीं है।

(vi) सामान्य संचित निधि में ₹ 20,000 का स्थानांतरण निदेशक बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया जाता है।

(vii) निदेशक बोर्ड ने 2 अप्रैल, 20X1 को संदत्त पूंजी पर 5% का लाभांश घोषित किया।

प्रश्न 5

रिंग लिमिटेड ने ₹ 10,00,000 की मामूली पूंजी के साथ पंजीकृत किया गया था, जिसे ₹ 100 प्रति शेयर में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित कच्चा बही 31 मार्च, 20X2 की बहियों से निष्कर्षित किया गया है:

ब्यौरा	₹	ब्यौरा	₹
भवन	5,80,000	विक्रय	10,40,000
संयंत्र	2,00,000	बकाया व्यय	4,000
अंतिम भंडार	1,80,000	संदेहपूर्ण होने के लिए प्रावधान	6,000
फुटकर उपकरण	46,000	ऋण (1-4-20X1)	
खरीद (तैयार माल)	4,20,000	जारी की गई, अभिदाय की गई और	4,00,000
वेतन	1,20,000	सामान्य निधि	80,000
निदेशक की फीस	20,000	लाभ और हानि खाता	50,000
किराया	52,000	(1-4-20X1)	
मूल्यह्रास	40,000	ऋणदाता	1,84,000
डूबंत ऋण	12,000	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	
निवेश	2,40,000	भवन पर 1,00,000	
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज	4,000	मशीनरी पर 1,10,000	2,10,000
डिबेंचर का ब्याज	56,000	14% डिबेंचर	4,00,000
अग्रिम कर	1,20,000	प्रोद्भूत डिबेंचर्स पर	28,000
अन्यान्य व्यय	36,000	ब्याज लेकिन देय नहीं	

© The Institute of Chartered Accountants of India

देनदार	2,50,000	निवेश पर ब्याज	24,000
बैंक	60,000	अदावाकृत लाभांश	10,000
	24,36,000		24,36,000

आपको 31 मार्च, 20X2 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और उस तिथि के अनुसार तुलन पत्र निम्नलिखित जानकारियों को ध्यान में रखते हुए तैयार करने की आवश्यकता है:

(a) प्रारंभिक भंडार की तुलना में अंतिम भंडार ₹ 1,60,000 से अधिक है;

(b) देनदार पर 4% की दर से शंकास्पद ऋण प्रदान करें

(c) 30% की दर से आयकर का प्रावधान करें।

(d) मूल्यह्रास व्यय में भवन पर ₹ 16,000 का मूल्यह्रास और मशीनरी पर ₹ 24,000 का मूल्यह्रास सम्मिलित किया गया।

(e) निदेशकों ने 2 अप्रैल, 20X2 को 25% की दर से लाभांश की घोषणा की और 10% की दर से सामान्य संचित निधि में स्थानांतरित किया।

(f) परिपक्व होने से पहले ही ₹ 20,000 का बिल भुना लिया गया

प्रश्न 6

31 मार्च, 20X1 को, एसआर लिमिटेड 31 मार्च, 20X1 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपनी लाभ और हानि लेखा तैयार करने के बाद निम्नलिखित खाता शेष प्रदान करते हैं।

ब्यौरा	राशि(₹)	
	नामे	जमा
इक्विटी शेयर पूंजी, ₹ 50 प्रति की दर से पूरी तरह से संदत्त शेयर		80,00,000
शेयर मांग की बकाया राशि	15,000	
भूमि	25,00,000	
भवन	30,00,000	
संयंत्र और मशीनरी	24,00,000	
उपस्कर और फिक्स्चर	13,00,000	
प्रतिभूतियाँ प्रीमियम		15,00,000
सामान्य निधि		9,41,000
लाभ और हानि लेखा		5,80,000
लोक वित्त निगम से ऋण (भूमि के दृष्टि बंधक द्वारा सुरक्षित)		26,30,000
अन्य दीर्घावधि ऋण		22,50,000
अल्पकालिक उधार		4,60,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

इंवेंटरी : तैयार माल	45,00,000	
कच्चा माल	13,00,000	
प्राप्य व्यापार	17,50,000	
अग्रिम राशि : अल्पकालिक	3,75,000	
व्यापार देय		8,13,000
कराधान के लिए प्रावधान		3,80,000
अवैतनिक लाभांश		70,000
नकद रोकड़	70,000	
बैंक में अतिशेष	4,14,000	
कुल	1,76,24,000	1,76,24,000

उपरोक्त शेष राशि के संबंध में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान की गई थी:

(1) 50,000 पूर्ण संदत्त शेयर भूमि के लिए प्रतिफल के रूप में आवंटित किए गए थे।

(2) आस्तियों की लागत थी:

भवन	₹ 32,00,000
संयंत्र और उपकरण	₹ 30,00,000
उपस्कर और फिक्स्चर	₹ 16,50,000

(3) ₹ 4,86,000 के लिए प्राप्य व्यापार राशि छह महीने से अधिक के लिए देय है।

(4) बैंक में पड़ी अतिशेष राशि में ₹ 56,000 शामिल है, नया बैंक जो अनुसूचित बैंक नहीं है।

(5) लोक वित्त निगम से ऋण 3 वर्ष के बाद प्रतिदेय।

(6) लोक वित्त निगम के ऋण खाते में ₹ 26,30,000 की शेष राशि पर प्रोद्भूत ब्याज ₹ 1,34,000 शामिल है लेकिन देय नहीं है। ऋण भूमि के दृष्टि बंधक द्वारा सुरक्षित है।

(7) अन्य दीर्घावधि ऋण (असुरक्षित) में शामिल हैं:

निक्सेस बैंक से लिया गया ऋण	₹ 13,80,000
(एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय राशि	₹ 4,80,000)
निदेशकों से लिया गया ऋण	₹ 8,50,000

(8) 15 जून, 20X1 को परिपक्व होने वाले ₹ 1,60,000 के प्राप्य बिलों को भुना लिया गया है।

(9) अल्पकालिक उधार में शामिल है:

© The Institute of Chartered Accountants of India

नया बैंक से ऋण	₹ 1,16,000 (सुरक्षित)
निदेशकों से ऋण	₹ 48,000

(10) निदेशक बोर्ड द्वारा वर्ष के लिए लाभ में से ₹ 35,000 को सामान्य संचित निधि में स्थानांतरण का प्रस्ताव रखा गया है।

(11) तैयार माल की इंवेंटरी में ₹5 लाख की लागत फुटकर औजार शामिल हैं (जो AS 10 के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं)

आपको कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के भाग - I के तहत आवश्यकता के अनुसार 31 मार्च, 20X1 तक कंपनी का तुलन पत्र तैयार करने की आवश्यकता है।

आपको पूर्व वर्ष के आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर/मदद

MCQ

1.	(c)	2.	(a)	3.	(a)	4.	(b)	5.	(b)	6.	(b)
7.	(a)	8.	(a)	9.	(b)	10.	(c)	11.	(a)	12.	(c)

प्रैक्टिकल प्रश्न

उत्तर 1

(i) चालू दायित्व/अन्य चालू दायित्व

(ii) शेयरधारक की निधि/ संचित निधि और अधिशेष

(iii) चालू दायित्व/अन्य चालू दायित्व

(iv) अनिश्चित दायित्व और वचनबद्धता

(v) शेयरधारक की निधि/शेयर पूंजी

(vi) शेयरधारक की निधि/ शेयर अधिपत्र के विरूद्ध प्राप्त धन

© The Institute of Chartered Accountants of India

उत्तर 2

प्रभावी पूँजी की संगणना:

	जहां स्टार लिमिटेड एक गैर-निवेश कंपनी है ₹	*जहां स्टार लिमिटेड एक निवेश वाली कम्पनी है* ₹
संदत्त शेयर पूँजी-		
45,000, 14% अधिमानी शेयर	45,00,000	45,00,000
3,60,000 सामान्य शेयर	2,88,00,000	2,88,00,000
पूँजीगत निधि (5,85,000 – 4,50,000)	1,35,000	1,35,000
प्रतिभूतियाँ प्रीमियम	1,50,000	1,50,000
15% डिबेंचर्स	1,95,00,000	1,95,00,000
सार्वजनिक जमा	11,10,000	11,10,000
(A)	5,41,95,000	5,41,95,000
निवेश	2,25,00,000	—
लाभ और हानि लेखा (नामे शेष)	45,75,000	45,75,000
(B)	2,70,75,000	45,75,000
प्रभावी पूँजी (A–B)	2,71,20,000	4,96,20,000

उत्तर 3

बोस और सेन लिमिटेड
31 मार्च, 20X1 के अनुसार तुलन पत्र

		ब्यौरा	*टिप्पणियां*	*चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े (₹)*
इक्विटी और दायित्व				
1		**शेयरधारक की निधि**		
	a	शेयर पूँजी	1	69,93,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

	b	संचित निधि और अधिशेष	2	21,56,000
2		**गैर-चालू दायित्व**		
	a	दीर्घकालिक ऋण	3	16,97,000
3		**चालू दायित्व**		
	a	व्यापार देय		14,00,000
	b	अल्पकालिक उधार	4	2,00,000
	c	अल्पकालिक प्रावधान	5	8,16,900
		कुल		**1,32,62,900**
आस्तियाँ				
1		**गैर-चालू आस्तियां**		
	a	PPE	6	74,75,000
	b	अमूर्त आस्तियां (पेटेंट और ट्रेड मार्क)		**4,00,000**
2		**चालू आस्तियाँ**		
	a	सूचियां (इन्वेंट्री)	7	17,50,000
	b	प्राप्य व्यापार	8	14,00,000
	c	नकद और बैंक शेष	9	19,39,000
	d	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम		2,98,900
		कुल		**1,32,62,900**

लेखा के लिए टिप्पणियां

			₹
1	**शेयर पूँजी** जारी की गई, अभिदाय की गई और मांग की गई साधारण शेयर पूँजी ₹ 10 प्रति के 7,00,000 इक्विटी शेयर (उपरोक्त 4,20,000 शेयरों में से नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए गए हैं।)	70,00,000	

© The Institute of Chartered Accountants of India

	माइनस: शेयर मांग की बकाया राशि	(7,000)	69,93,000
	कुल		69,93,000
2	**संचित निधि और अधिशेष**		
	सामान्य निधि	15,49,100	
	माइनस: प्रारंभिक व्यय	(93,100)	14,56,000
	अधिशेष (लाभ और हानि खाता)		7,00,000
	कुल		**21,56,000**
3	**दीर्घकालिक ऋण**		
	सुरक्षित		
	आवधिक ऋण		
	राज्य वित्त निगम से ऋण (₹ 10,50,000 - ₹ 2,00,000) (संयंत्र और मशीनरी के दृष्टि बंधक द्वारा सुरक्षित)		8,50,000
	असुरक्षित		
	बैंक से ऋण	2,00,000	
	संबंधित पक्षों से ऋण	1,00,000	
	अन्य	5,47,000	8,47,000
	कुल		16,97,000
4	**अल्पकालिक उधार**		
	दीर्घकालीन ऋण का चालू परिपक्वता - एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय ऋण की किश्त		2,00,000
5	**अल्पकालिक प्रावधान**		
	कराधान के लिए प्रावधान		8,16,900
6	**संपत्ति, संयंत्र और उपकरण**		
	भूमि		14,00,000
	भवन	28,00,000	
	माइनस:मूल्यह्रास	(7,50,000) (b.f.)	20,50,000
	संयंत्र और मशीनरी	49,00,000	
	माइनस: मूल्यह्रास	(12,25,000)	36,75,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

		(b.f.)	
	उपस्कर एवं साजो-सामान	4,37,500	
	माइनस: मूल्यह्रास	(87,500) (b.f.)	3,50,000
	कुल		**74,75,000**
7	**सूचियां (इन्वेंट्री)**		
	कच्चा माल		3,50,000
	तैयार माल:		14,00,000
			17,50,000
8	**प्राप्य व्यापार**		
	छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण		3,80,000
	अन्य ऋण		10,20,000
	कुल		**14,00,000**
9	**नकद और बैंक शेष**		
	नकद और नकदी के समकक्ष		
	अनुसूचित बैंक के साथ बैंक में नकद	12,11,000	
	अन्य से	18,000	12,29,000
	नकद रोकड़		2,10,000
	अन्य बैंक शेष	**5,00,000**	
	9 माह की अवधि के लिए बैंक में जमा		5,00,000
	कुल		19,39,000

उत्तर 4

अल्फा लिमिटेड
31 मार्च, 20X1 के अनुसार तुलन पत्र

		ब्यौरा	***टिप्पणियां***	**₹**
		इक्विटी और दायित्व		
1		**शेयरधारक की निधि**		
	a	शेयर पूँजी	1	49,95,000
	b	संचित निधि और अधिशेष	2	14,83,500
2		**गैर-चालू दायित्व**		
		दीर्घकालिक ऋण	3	13,17,500

© The Institute of Chartered Accountants of India

3		**चालू दायित्व**		
	a	व्यापार देय		8,00,000
	b	अल्पकालिक प्रावधान	5	6,40,000
	c	अल्पकालिक उधार (2,00,000+37,500)	4	2,37,500
		कुल		**94,73,500**
		आस्तियाँ		
1		**गैर-चालू आस्तियां**		
		PPE	6	56,25,000
2		**चालू आस्तियाँ**		
	a	सूचियां (इन्वेंट्री)	7	12,50,000
	b	प्राप्य व्यापार	8	10,00,000
	c	नकद और बैंक शेष	9	13,85,000
	d	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम		2,13,500
		कुल		**94,73,500**

लेखा के लिए टिप्पणियां

		₹
1 **शेयर पूँजी** जारी की गई, अभिदाय की गई और जारी किये गए औरअभिदाय और ₹ 100 प्रति के 510,000 इक्विटी शेयर (उपरोक्त 4,20,000 शेयरों में से नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए गए हैं।)	50,00,000	
माइनस: शेयर मांग की बकाया राशि	(5,000)	49,95,000
कुल		**49,95,000**
2 **संचित निधि और अधिशेष**		
सामान्य निधि	10,50,000	
जोड़ें : चालू वर्ष में स्थानांतरण	**20,000**	**10,70,000**
लाभ और हानि शेष		

© The Institute of Chartered Accountants of India

अवधि के लिए लाभ	4,33,500	
माइनस: विनियोजन		
जनरल संचित निधि में स्थानांतरण	(20,000)	
		4,13,500
कुल		**14,83,500**
3 दीर्घकालिक ऋण		
सुरक्षित आवधिक ऋण		
राजय वित्तीय निगम से ऋण (7,50,000-37,500)		
(संयंत्र और मशीनरी के दृष्टि बंधक द्वारा सुरक्षित)		7,12,500
असुरक्षित ऋण		6,05,000
कुल		**13,17,500**
4 अल्पकालिक उधार		
ऋण और अग्रिम राशि		2,00,000
ब्याज प्रोद्भूत हुआ लेकिन ऋण पर देय नहीं (एसएएफसी)		37,500
		2,37,500
5 अल्पकालिक प्रावधान		
कराधान के लिए प्रावधान		6,40,000
6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		
भूमि और भवन	**30,00,000**	
माइनस: मूल्यह्रास	(2,50,000) (b.f.)	27,50,000
संयंत्र और मशीनरी	35,00,000	
माइनस: मूल्यह्रास	(8,75,000) (b.f.)	26,25,000
उपस्कर एवं साजो-सामान	3,12,500	
माइनस: मूल्यह्रास	(62,500) (b.f.)	2,50,000
कुल		**56,25,000**
7 सूचियां (इन्वेंट्री)		
कच्चा माल		2,50,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

	तैयार माल:		10,00,000
	कुल		**12,50,000**
8	**प्राप्य व्यापार**		
	छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया		2,60,000
	अन्य राशियां		7,40,000
	कुल		**10,00,000**
9	**नकद और बैंक शेष**		
	नकद और नकदी के समकक्ष		
	बैंक में नकद		
	अनुसूचित बैंक में	12,25,000	
	अन्य (ओमेगा बैंक लिमिटेड) से	10,000	12,35,000
	नकद रोकड़		1,50,000
	अन्य बैंक शेष		शून्य
	कुल		**13,85,000**

नोट: अंतिम लाभांश को लेखांकन मानकों के अनुसार तुलन पत्र की तिथि (भले ही इसे रिपोर्टिंग की तिथि के बाद लेकिन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पहले घोषित किया गया हो) पर देयता के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। इसलिए, इसे 31 मार्च, 20X1 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे लाभांश को केवल नोट्स में प्रकटित किया जाएगा।

उत्तर 5

रिंग लिमिटेड
31 मार्च, 20X2 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण

	ब्यौरा	*टिप्पणी संख्या*	*(₹ लाख में)*
I	**परिचालन से राजस्व**		10,40,000
II	**अन्य आय** (निवेश पर ब्याज)		24,000
III	**कुल आय (I + II)**		**10,64,000**
IV	**व्यय:**		
	खरीद की लागत [4,20,000+ 1,60,000]		5,80,000
	इंवेंटरी में परिवर्तन [20,000-1,80,000]		(1,60,000)
	कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय		1,20,000
	वित्त लागत (डिबेंचर ब्याज)		56,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

	मूल्यह्रास और क्रमिक अपाकरण व्यय		40,000
	अन्य व्यय	8	1,24,000
	कुल व्यय		7,60,000
V	**कर से पहले लाभ (III-IV)**		**3,04,000**
VI	**30% की दर से कर का व्यय**		(91,200)
VII	**अवधि के लिए लाभ**		**2,12,800**

31 मार्च, 20X2 तक रिंग लिमिटेड का तुलन पत्र

			ब्यौरा	*टिप्पणी संख्या*	₹
I	**इक्विटी और दायित्व**				
	(1)	**शेयरधारक की निधि**			
		(a)	शेयर पूँजी	1	4,00,000
		(b)	संचित निधि और अधिशेष	2	3,42,800
	(2)	**गैर-चालू दायित्व**			
		(a)	दीर्घकालिक ऋण (14% डिबेंचर)		4,00,000
	(3)	**चालू दायित्व**			
		(a)	देय व्यापार (अन्यान्य ऋणदाता)		1,84,000
		(b)	अन्य चालू दायित्व	3	42,000
		(c)	अल्पकालिक प्रावधान	4	91,200
			कुल		**14,60,000**
II	**आस्तियाँ**				
	(1)	**गैर-चालू आस्तियां**			
		(a)	PPE	5	5,70,000
		(b)	गैर-चालू निवेश		2,40,000
	(2)	**चालू आस्तियाँ**			
		(a)	सूचियां (इन्वेंट्री)	6	2,26,000
		(b)	प्राप्य व्यापार	7	2,40,000
		(c)	नकद और बैंक शेष		60,000
		(d)	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (कर का अग्रिम भुगतान)		1,20,000
		(e)	अन्य चालू दायित्व (निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज)		4,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

		कुल		**14,60,000**

नोट: भुनाए गए बिलों के लिए अनिश्चित दायित्व है लेकिन ₹ 20,000 की राशि अभी तक परिपक्व नहीं हुई है।

लेखा के लिए टिप्पणियां:

1.	**शेयर पूँजी**		
	प्राधिकृत पूँजी		
	₹ 100 प्रति के 10,000 इक्विटी शेयर		10,00,000
	जारी पूँजी		
	₹ 100 प्रति के 4,000 इक्विटी शेयर		4,00,000
	अभिदत्त पूँजी और पूरी तरह से सन्दत्त		
	₹ 100 प्रति के 4,000 इक्विटी शेयर		4,00,000
2.	**संचित निधि और अधिशेष**		
	सामान्य संचित निधि [₹ 80,000 + ₹ 21,280]		1,01,280
	लाभ और हानि लेखा के विवरण का अतिशेष		
	प्रारंभिक शेष	50,000	
	जोड़ें: अवधि के लिए लाभ	2,12,800	
		2,62,800	
	विनियोजन		
	10% की दर से सामान्य संचित निधि में स्थानांतरण	(21,280)	
			2,41,520
			3,42,800
3.	**अन्य चालू दायित्व**		
	अदावाकृत लाभांश		10,000
	बकाया व्यय		4,000
	डिबेंचरों पर प्रोद्भूत ब्याज		28,000
			42,000
4.	**अल्पकालिक प्रावधान**		
	कर के लिए प्रावधान		91,200
5	**संपत्ति, संयंत्र और उपकरण**		

© The Institute of Chartered Accountants of India

	भवन	5,80,000	
	माइनस:: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	1,00,000	4,80,000
	संयंत्र और उपकरण	2,00,000	
	माइनस:: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	1,10,000	90,000
			5,70,000
6	**सूचियां (इन्वेंट्री)**		
	तैयार माल का अंतिम भंडार	1,80,000	
	फुटकर उपकरण	46,000	2,26,000
7	**प्राप्य व्यापार**		
	अन्यान्य ऋणी	2,50,000	
	माइनस : शंकास्पद ऋण के लिए प्रावधान		2,40,000
		(10,000)	
8.	**अन्य व्यय**		
	किराया		52,000
	निदेशक की फीस		20,000
	डूबंत ऋण		12,000
	शंकास्पद ऋण के लिए प्रावधान (₹ 2,50,000 का 4% माइनस ₹ 6,000)		4,000
	अन्यान्य व्यय		36,000
			1,24,000

नोट: अंतिम लाभांश को लेखांकन मानकों के अनुसार तुलन पत्र की तिथि (भले ही इसे रिपोर्टिंग की तिथि के बाद लेकिन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पहले घोषित किया गया हो) पर देयता के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। इसलिए, इसे 31 मार्च, 20X2 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे लाभांश को केवल नोट्स में प्रकटित किया जाएगा।

उत्तर 6

एसआर लिमिटेड

31 मार्च, 20X1 के अनुसार तुलन पत्र

ब्यौरा	*टिप्पणियां*	*चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े (₹)*
इक्विटी और दायित्व		

© The Institute of Chartered Accountants of India

1	**शेयरधारक की निधि**		
a	शेयर पूँजी	1	79,85,000
b	संचित निधि और अधिशेष	2	30,21,000
2	**गैर-चालू दायित्व**		
a	दीर्घकालिक ऋण	3	42,66,000
3	**चालू दायित्व**		
a	अल्पकालिक उधार	**4**	**9,40,000**
b	व्यापार देय		8,13,000
c	अन्य चालू दायित्व	5	2,04,000
d	अल्पकालिक प्रावधान	6	3,80,000
	कुल		**1,76,09,000**
आस्तियाँ			
1	**गैर-चालू आस्तियां**		
a	PPE	7	**92,00,000**
2	**चालू आस्तियाँ**		
a	सूचियां (इन्वेंट्री)	8	58,00,000
b	प्राप्य व्यापार	9	17,50,000
c	नकद और नकदी के समकक्ष	10	4,84,000
d	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम		3,75,000
	कुल		**1,76,09,000**

लेखा के लिए टिप्पणियां

			₹
1.	**शेयर पूँजी** जारी की गई, अभिदाय की गई और मांग की गई साधारण शेयर पूँजी ₹ 50 प्रति के 1,60,000 इक्विटी शेयर (उपरोक्त 50,000 शेयरों में से नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए गए हैं।) *माइनस*: शेयर मांग की बकाया राशि	80,00,000 (15,000)	 79,85,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

2.	**संचित निधि और अधिशेष**		
	सामान्य निधि	**9,41,000**	
	जोड़ें: लाभ और हानि लेखा से स्थानांतरित	**35,000**	9,76,000
	प्रतिभूतियाँ प्रीमियम		15,00,000
	अधिशेष (लाभ और हानि खाता)	**5,80,000**	
	माइनस : सामान्य संचित निधि (प्रस्तावित) के लिए विनियोजन	(35,000)	**5,45,000**
			30,21,000
3.	**दीर्घकालिक ऋण**		
	सुरक्षित: आवधिक ऋण		
	लोक वित्त निगम से ऋण [3 वर्षों के बाद प्रतिदेय (प्रोद्भूत ब्याज के लिए ₹ 26,30,000 - ₹ 1,34,000 लेकिन देय नहीं)] (भूमि के दृष्टि बंधक द्वारा सुरक्षित)		24,96,000
	असुरक्षित		
	बैंक से ऋण (निक्सेस बैंक) 9,00,000 (₹ 13,80,000 - ₹ 4,80,000 1 वर्ष के भीतर प्रतिदेय)		
	निदेशकों से ऋण 8,50,000		
	अन्य 20,000		17,70,000
	कुल		**42,66,000**
4.	**अल्पकालिक उधार**		
	नया बैंक से ऋण (सुरक्षित)	**1,16,000**	
	निक्सेस बैंक से ऋण एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय (दीर्घकालिक उधार की चालू परिपक्वता)	4,80,000	
	निदेशकों से ऋण	48,000	
	अन्य	2,96,000	**9,40,000**
5.	**अन्य चालू दायित्व**		
	अवैतनिक लाभांश	70,000	

© The Institute of Chartered Accountants of India

	ब्याज प्रोद्भूत हुआ लेकिन उधार पर देय नहीं	1,34,000	2,04,000
6.	**अल्पकालिक प्रावधान**		
	कराधान के लिए प्रावधान		**3,80,000**
7.	PPE		
	भूमि		25,00,000
	भवन	**32,00,000**	
	माइनस: मूल्यह्रास	(2,00,000)	30,00,000
	संयंत्र और मशीनरी	30,00,000	
	माइनस: मूल्यह्रास	(6,00,000)	24,00,000
	उपस्कर एवं साजो-सामान	16,50,000	
	माइनस: मूल्यह्रास	(3,50,000)	13,00,000
	कुल		**92,00,000**
8.	**सूचियां (इन्वेंट्री)**		
	कच्चा माल	**13,00,000**	
	तैयार माल:	**40,00,000**	
	फुटकर उपकरण	**5,00,000**	58,00,000
9.	**प्राप्य व्यापार**		
	छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया		**4,86,000**
	अन्य		12,64,000
	कुल		**17,50,000**
10.	**नकद और नकदी के समकक्ष**		
	बैंक में अतिशेष		
	अनुसूचित बैंक में	**3,58,000**	
	अन्य बैंक में	56,000	4,14,000
	नकद रोकड़		70,000
	कुल		**4,84,000**

नोट: ₹ 1,60,000 की राशि का एक अनिश्चित दायित्व है।

© The Institute of Chartered Accountants of India